प्रेस इंफार्मेशन सेंटर
www.picmp.com
प्रदेश की सत्ता को खबरों से तराशने वाले पत्रकारों का संगठन
एमपी नगर,जोन-1,भोपाल.

राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

जासूस बादशाह

www.picmp.com

अब पढ़िए हर हफ्ते इंटरनेट पर
जासूस बादशाह
प्रेस इंफार्मेशन सेंटर की वेवसाईट लॉग ऑन करें
www.picmp.com

आरएनआई निबंधन संख्या-एमपीएचआईएन-1999 /4107
डाक पंजीयन-मप्र /भोपाल /371 / 06-08

वर्ष-10,अंक-29,(चौदह सालों से प्रकाशित) **भोपाल,सोमवार 21 जुलाई से 27 जुलाई 2008 तक** मूल्य दो रुपया

भ्रष्ट और बेशर्म लोकायुक्त को विदा करें

न्यायपालिका और प्रेस को जूते की नोंक पर रखने की कोशिश में जुटे रिपुसूदन दयाल

लोकायुक्त जैसी आम जनमानस के भरोसे की कुर्सी पर बैठे रिटायर जज रिपुसूदन दयाल की असलियत अब अखबार वालों के सामने भी उजागर होती जा रही है.उन्होंने जिस तरह हाईकोर्ट की कार्रवाई को गलत तरीके से पेश करके न्यायपालिका को धमकाने की कोशिश की है वह उनके गले की हड्डी बन गई है. वे अपने हर आपराधिक षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए छोटे अफसरों, कर्मचारियों, पत्रकारों और अब न्यायाधीशों को कानून के जाल में फंसाने की चालबाजी चल रहे हैं उसकी पोलपट्टी अब सबके सामने खुल गई है और वे अफीम की पिनक में डूबे किसी सोलहवीं शताब्दी के क्रूर तानाशाह की तरह बर्ताव करते नजर आ रहे हैं.पेश है मामले की तफतीश करता विशेषांक-

जैन समाज में मुनि की पदवी कठिन अग्निपरीक्षा के बाद मिलती है.इसके लिए व्यक्ति को भगवान के समान कठोर आदर्शों की कसौटी पर खरा उतरना होता है.लेकिन यदि कोई मुनि लोगों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उससे दिगंबर रूप छोड़ना होता है. न्यायपालिका में जज का ओहदा भी ऐसा ही है.न्यायाधीश की निंदा अक्षम्य मानी गई है.लेकिन जब न्यायपालिका स्वयं देखती है कि कोई जज पथभ्रष्ट हो गया है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है.ऐसी ही पदवी लोकायुक्त की भी है,यदि लोकायुक्त जैसे लोकसेवक का भ्रष्टाचार जगजाहिर हो गया है तो उसे खुद ही अपना पद छोड़ देना चाहिए,यदि वह ऐसा नहीं करता तो ये जबाबदारी समाज के गणमान्य लोगों को निभानी चाहिए.

भोपाल. सुप्रीम कोर्ट में रिटायर जजों के भ्रष्टाचार की बहस जब तेजी से चल रही है तभी मध्यप्रदेश में एक पूर्व जज के लालच की चर्चाओं ने इस मुददे को और भी अधिक गरमा दिया है. तमाम आरोपों के बावजूद मध्यप्रदेश के लोकायुक्त पद पर चिपके बैठे रिपुसूदन दयाल के कारनामों को सुनकर न्यायपालिका के परम सम्माननीय न्यायाधीशों का सिर शर्म से झुका जा रहा है. आंखें बंद करके केवल अपनी ही दुनिया संवारने में मशगूल कानून के इस घाघ लोकसेवक ने दो नागरिकों को कुचलने के लिए जिन हथकंडों का सहारा लिया है वह आम जनता के बीच आक्रोश बनकर घुमड़ने लगा है.

मामला कभी का खत्म हो चुका होता यदि अपने खिलाफ की गई दस्तावेजी शिकायत की जांच किसी सम्मानीय न्यायाधीश से कराकर सच्चाई लोगों के सामने लाई जाती.खुद को ईमानदार और प्रदेश के मूल निवासियों को बेईमान ठहराने की साजिश रचने वाले इस उम्रदराज शख्स ने गरिमा की तमाम हदें लांघ लीं. झूठ को सच के रूप में पेश करने की नई जालसाजी के बाद उन्होंने सबसे पहले न्यायपालिका और प्रेस को अपने जूते की नोंक पर रखने की असफल कोशिश की और मुंह की खाई.

बात तब शुरु हुई जब बीती 28 मई को राजधानी के पत्रकार आलोक सिंघई और एड्व्होकेट नरेन्द्र भावसार ने लोकायुक्त संगठन के महानिदेशक डी.जी.कापदेव को एक आवेदन देकर कहा कि आपके लोकायुक्त महोदय के खिलाफ भ्रष्टाचार किए जाने के प्रमाण मिले हैं कृपया उनके खिलाफ जांच करें और दोषी पाए जाने पर मुकदमा चलाएं. अपनी इस शिकायत में दोनों ने सूचना के अधिकार अधिनियम की सहायता से प्राप्त किए गए दस्तावेज पेश किये थे जिनमें कई प्रकार की जालसाजी और पद के दुरुपयोग के साक्ष्य नजर आ रहे थे.महानिदेशक ने तत्काल इस आवेदन को जांच के लिए अपने ही संगठन के पुलिस अधीक्षक के.के.लोहानी को भेज दिया.

के.के.लोहानी श्री दयाल के सभी इरादों को अंजाम देने वाले अधिकारी माने जाते हैं.उन्होंने आनन फानन में सभी आरोपों के तोड़ निकाले.तब श्री दयाल ने अपने काले कारनामों को कानूनी जामा पहनाने वाले विधि अधिकारी विरेन्दर सिंह को रिपोर्ट बनाने की जवाबदारी सौंपी.जबलपुर से भी विधि विशेषज्ञ बुलाए गए और मात्र पांच दिनों के भीतर ही झूठ का एक ऐसा पुलिंदा तैयार किया गया जिसमें श्री दयाल को क्लीनचिट दे दी गई.

ये दस्तावेज राजधानी में मप्र हाऊसिंग बोर्ड के माध्यम से बनाए जा रहे रिवियेरा टाऊनशिप से संबंधित थे. नेताओं और गणमान्य नागरिकों की इस कालोनी में लोकायुक्त जस्टिस रिपुसूदन दयाल ने अपनी पत्नी श्रीमती ऊषा दयाल के साथ संयुक्त रूप से यह मकान खरीदा है. इस मकान के लिए श्रीमती दयाल ने कथित तौर पर 20.11.2003 को आवेदन दिया था.इस मकान की प्लानिंग तो तभी बन गई थी जब भ्रष्टाचारों में फंसे बोर्ड के आयुक्त राघव चंद्रा के कार्यकाल में कालोनी की आयोजना बनी थी.बाद में राघवचंद्रा ने माफी का इनाम भी पाया.

बताते हैं कि राघवचंद्रा के ही पाले पोसे हाऊसिंग बोर्ड के अफसरों ने प्रोजेक्ट के इंजीनियरों को निर्देश देकर दयाल के लिए यह मकान दिलवाया.इस प्लॉट को सभी औपचारिकताओं से मुक्त रखा गया था.पद के दुरुपयोग का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जिस कालोनी में मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति के लिए लाटरी के माध्यम से मकान आबंटित हुए वहीं श्री दयाल का मकान लाटरी से मुक्त रखा गया.यह लाटरी 24 जनवरी 2004 को निकाली गई थी.जिसमें श्री दयाल का मकान शामिल ही नहीं था. वह तीन हजार वर्गफीट जमीन ग्रीनलैंड के रूप में दिखाई गई थी जो श्री दयाल को नजराने के रूप में दी जानी थी.

(विस्तृत खबर पेज 6 पर पढ़िए)

जनता के जांबाज प्रहलाद पटेल ने कहा लोकायुक्त पर मुकदमा चलाओ

भोपाल (पीआईसी). मध्यप्रदेश के लोकायुक्त का पद संभाले जस्टिस रिपुसूदन दयाल के खिलाफ अब पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी निजी मकान खरीदने में जालसाजी करने की शिकायत की है.राजधानी के पुलिस अधीक्षक को श्री दयाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने का आवेदन देते समय उन्होंने कई ऐसे साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं जिनके आधार पर जालसाजी की नई कहानी उभर रही है.

पुलिस अधीक्षक को प्राथमिकी दर्ज किए जाने का आवेदन देने के बाद आयोजित पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि पत्रकार आलोक सिंघई और वकील नरेन्द्र भावसार ने श्री दयाल के खिलाफ जो शिकायतें पूर्व में की थीं वे सच हैं.इन शिकायतों पर न तो पुलिस और न ही लोकायुक्त पुलिस ने कोई संज्ञान लिया बल्कि श्री दयाल का दोष ढांपने के लिए मुकदमा खारिज कर उन्हें क्लीनचिट दे डाली.श्री दयाल के अत्याचार यहीं नहीं थमे और उन्होंने शिकायत करने वाले दोनों नागरिकों के खिलाफ ही झूठी शिकायत करने का मुकदमा दर्ज करवा दिया है.

श्री पटेल ने कहा कि वे पूरी जवाबदारी के साथ ये शिकायतें कर रहे हैं जिस पर भोपाल पुलिस को मुकदमा कायम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वे आगे की लड़ाई जारी रखने के लिए अदालतों की शरण में जाएंगे.उन्होंने अपनी शिकायत के संबंध में जो आवेदन पुलिस को दिया है उसकी प्रति प्रेस को भी जारी की.उन्होंने कहा कि श्री दयाल के खिलाफ जब शिकायत दर्ज कराई गई थी तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया जाना था लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाए अपने ही अधीन संगठन से खुद को क्लीनचिट दिलवा ली और शिकायत कर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया.ये उसी प्रकार है कि जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे.

झूठी खबर छापने वालों को हाईकोर्ट की फटकार

भोपाल(पीआईसी). लोकायुक्त जैसे विश्वसनीय पद पर बैठे रिटायर जज रिपुसूदन दयाल की असलियत अब अखबार वालों के सामने भी उजागर हो चुकी है.उन्होंने राजधानी के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्री डी.के.सिंह के खिलाफ जो शिकायत हाईकोर्ट भेजी थी उसे प्रदेश के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री अनंग कुमार पटनायक ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया.

जो अखबार पथभ्रष्ट रिपुसूदन दयाल के बयानों को देववाणी मानकर छाप रहे थे उन पर अब अदालत की अवमानना का मामला बन गया है.हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल शरद श्रीवास्तव की ओर से भेजी गई सूचना की प्रति में कहा गया है कि प्रथम श्रेणी न्यायाधीश धर्मेन्द्र कुमार सिंह के खिलाफ न तो कोई फैसला लिया गया है न ही उनकी निंदा की गई है.उन्हें सेवा नियमों के उल्लंघन का दोषी भी नहीं पाया गया है.इस संबंध में राजधानी के दो अखबारों में छपी खबरों और संपादकीय को गलत और निराधार बताया गया है.

भोपाल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री गुलाब शर्मा ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया कि हाईकोर्ट ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी धर्मेन्द्र सिंह के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है.उनकी ओर से जारी रजिस्ट्रार के पत्र की प्रति में साफ कहा गया है कि दैनिक भास्कर भोपाल के 11 जुलाई 2008 के संस्करण में (भोपाल के न्यायाधीश को हाईकोर्ट में फटकार)शीर्षक प्रकाशित समाचार नितांत गलत एवं वास्तविकता से परे है.यह कहना गलत होगा कि माननीय हाईकोर्ट ने भोपाल के लोकायुक्त जस्टिस रिपुसूदन दयाल के खिलाफ जांच के आदेश देने वाले भोपाल के न्यायाधीश धर्मेन्द्र कुमार सिंह को फटकार लगाई अथवा श्री सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की है.वस्तुत: ऐसा कोई फैसला हुआ ही नहीं.

इसी तरह राज एक्सप्रेस भोपाल संस्करण के दिनांक 12.10.2008 के अंक में (जज पर कार्यवाही की अनुशंसा)इसी आशय का समाचार व संपादकीय असत्य व आधारहीन है कि माननीय हाईकोर्ट ने यह कहा है कि प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में आदेश वादी एवं न्यायाधीश की मिलीभगत है.

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय हाईकोर्ट को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित किए गए आदेशों की वैधानिकता के संबंध में स्वप्रेरणा से परीक्षण करने की शक्तियां प्राप्त हैं.इन्हीं शक्तियों के अंतर्गत माननीय हाईकोर्ट ने न्यायाधीश सिंह द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश से संबंधित अभिलेख परीक्षण हेतु बुलाया है.अभी इस पर विचार और अग्रित कार्यवाही हेतु यह प्रकरण लंबित है.अत: यह कहना बिल्कुल गलत है कि न्यायाधीश सिंह के फैसले की निंदा की गई है.यह समाचार भी गलत एवं भ्रामक है कि डी.के.सिंह को प्रथम दृष्टया मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है.

शरद श्रीवास्तव,रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय जबलपुर

राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

नायक

बादशाह

भोपाल,सोमवार 21 जुलाई से 27 जुलाई 2008 तक

प्रज्ञावान है भारत की न्यायपालिका

आपको सड़क पर नोटों से भरा बटुआ पड़ा मिल जाए तो जाहिर है आप उसे उसके मालिक तक पहुंचाने की जवाबदारी निभाएंगे.यदि आप उसे चुपचाप रख लेते हैं तो आपने बड़ा अपराध कर दिया है. ऐसे मामलों में पीठासीन जज बगैर राग द्वेष सिर्फ तथ्यों पर विचार करके फैसले देते हैं.यही तटस्थ फैसले न्याय कहलाते हैं और न्याय के इसी सिद्धांत पर बरसों से भरोसा किया जाता रहा है.कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसे अपराध से बचना चाहता है.इसके बावजूद कई समझदार लोग ऐसे भी हैं जो अंधी गली में दौड़ लगा देते हैं जिसका अंत सिर्फ अंधकार पर होता है.ऐसी ही एक अंधी गली मध्यप्रदेश के लोकायुक्त पद पर विराजमान जस्टिस रिपुसूदन दयाल ने खोज ली है. वे कानून के ज्ञाता हैं.कानून की बारीकियां उन्हें पता हैं इसलिए वे कानून से खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं करते हैं.उनकी इसी कामयाबी के कारण प्रदेश के लोकसेवकों में हा-हाकार मचा हुआ है.उन्हें माननीय की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही हैं.ये अत्याचार कुछ उसी तरह हैं जिस तरह अंग्रेजों के शासनकाल में देशभक्तों की दुर्गति हुआ करती थी.जबरन मारे रोवन न दें की तर्ज पर लोकायुक्त महोदय प्रदेश के अफसरों और मंत्रियों को भ्रष्ट बताने में जुटे हैं लेकिन दिया तले का अंधेरा उन्हें नजर नहीं आ रहा है.उनके नेतृत्व में प्रदेश का लोकायुक्त संगठन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है.जिस नाके पर या जिस दफ्तर में लोकायुक्त संगठन की परची पहुंच जाती है वहां से अधिकारियों का जत्था साष्टांग दंडवत करने में लग जाता है.क्योंकि बेरोजगारी के इस युग में भला एक बार नौकरी जाने पर दुबारा तो नहीं ही मिल सकती.सरकारी नौकरी के सुख भी भरपूर हैं इसलिए कोई भी उनके मार्ग में कांटे बिछाने की जुर्रत नहीं करता है.फिर एक बार जिस अधिकारी या नेता के लेन देन के संबंध लोकायुक्त दफ्तर से बन जाते हैं वह दुबारा पीछे मुड़कर नहीं देखता.उसकी निश्चिंतता भरी कमाई का दौर चलता जाता है.आज लोकायुक्त संगठन का दस्ता प्रदेश भर से जो चंदा वसूलता है वह अपने आप में एक अलग अर्थव्यवस्था बन चुकी है.तभी तो लोग बरसों से यहां जमे हुए हैं.यह संगठन एक जांच एजेंसी है जिसे कई अधिकारों से नवाजा गया है.इस के मुखिया को संवैधानिक हैसियत दी गई है और इसी कारण सामान्यतया किसी रिटायर वरिष्ठ जज को इसकी कमान थमाई जाती है.भारत में आज भी पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है वाली बात मानी जाती है.लोगों का भरोसा है कि न्याय पीठ पर आसीन न्यायाधीश ईमानदार होगा ही.कम से कम वह न्याय तो करेगा.भले ही वह न्याय अंधा क्यों न हो.बस इसी मनोभाव को ढाल बनाकर जस्टिस रिपुसूदन दयाल जी ने काफी दौलत बटोरी है.उनके खाते और उनकी जायदाद उनके ऐश्वर्य का खुलासा कर रहे हैं.जब उनके इसी ऐश्वर्य की पोलपट्टी उजागर हुई तो वे बिफर पड़े.उन्होंने अपने खिलाफ की गई शिकायत की जांच हमेशा की तरह अपने ही अधीन जांच एजेंसी से कराई और खुद को क्लीनचिट दिलवा ली. न खाता न बही जो दयाल साहब बोलें वो सही? इसी तर्ज पर उन्होंने पुलिस को भी घुटना टेक करवा लिया और शहर की छोटी अदालत पर भी अपनी घुटी(कोहनी) रख दी.छोटी अदालत की गर्दन पर सवार होने के लिए तो उन्होंने प्रदेश की बड़ी अदालत के मुखिया से तक शिकायत कर डाली कि मेरे खिलाफ यह टुरवा कैसे सुनवाई कर रहा है.हाईकोर्ट ने मामला अपनी एक पीठ को सौंप दिया.अदालती षड्यंत्रों से जो रास्ते तलाशे जा रहे हैं.उसमें न्याय व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा करने की साजिश रची जा रही है.अदालत में घोटाले की शिकायत करने वाले एक कलम जीवी और एक कानून वेत्ता को आज भी भरोसा है कि कम से कम अदालत तो उन्हें न्याय अवश्य दिलाएगी.दस्तावेजी घोटाले को यदि बाद में एक नए घोटाले से पाट भी दिया जाता है तो कुछ न कुछ सबूत अवश्य छूट जाते हैं.अपराधी कितना भी होशियार क्यों न हो वह साक्ष्य जरूर छोड़ जाता है.बस इसी लाईन पर चलकर जस्टिस रिपुसूदन दयाल के बयानों को परखा जा सकता है. श्री दयाल अपने खिलाफ षड़यंत्र किए जाने का जो बहाना सुना रहे हैं और अपना अपराध दूसरों के सिर मढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं वह भी लोग देख ही रहे हैं.उन्हें अपने किए की सजा अवश्य मिलेगी.यह जरूर हो सकता है कि समय और अदालत वे स्वयं तय करें.उनकी कोशिश है कि मामले की सुनवाई मेरिट पर न हो.लेकिन आखिर कब तक वे अदालतों का समय जाया करेंगे.भारत में बेगुनाह को बचाने की कोशिश की जाती है पर अपराधी को नहीं बचाया जाता.श्री दयाल ने जनता के धन पर अपना नाम खुदवाने का अपराध किया है तो उसे कौन सी न्यायपालिका उचित ठहराएगी.अदालत छोटी हो या बड़ी न्याय का मार्ग तलाशना ही उसका काम है.भारत की न्यायपालिका पर्याप्त प्रज्ञावान है वह हर समस्या का समाधान कर सकती है.अदालतें ही तो न्याय मांगने वालों का मार्गदर्शन करतीं हैं.(पीआईसी).

गरीब और अमीर का भेद नहीं करती भारतीय दंड संहिता

आजाद हिंदुस्तान में न्यायपालिका का गठन आम लोगों को शोषण और अत्याचार से बचाने के लिए किया गया है.यही भावना इस पालिका की शक्ति है और यही उसके सम्मान का सबसे बड़ा कारण भी है. न्याय के इस सिंहासन को इसी कारण पूजा जाता है.यही कारण है कि न्याय तंत्र से जुड़े लोगों को भी आम गरीब का रखवाला माना जाता है. हम भी यही मानते हैं और इसी कारण न्याय तंत्र के प्रति अपनी पूरी आस्था व्यक्त करते हैं. जबसे हिंदुस्तान ने मुक्त बाजार व्यवस्था के लिए अपने दरवाजे खोले हैं और पूंजीवाद की खुशबूभरी बयार हमारे देश में बह निकली है तबसे हिंदुस्तानियों के दिलों में नए आशावाद के बीज अंकुरित हो गए हैं. इसके साथ उपभोक्तावाद की जो आंधी आई उसमें कई किस्म की गंदगियां भी प्रवेश कर गईं हैं.ये गंदगी समाज के सभी क्षेत्रों में फैल गई है.न्याय पालिका भी इससे अछूती नहीं है.यही कारण है कि अदालत को अपनी गंदगी साफ करने के लिए बाकायदा फुलकोर्ट बैंच बिठाना पड़ती है और कई न्यायाधीशों को बर्खास्त करना पड़ता है.ये सभी उसी सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं जिसे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शुरु किया था.जब देश के विद्वान न्यायाधीशों ने देखा कि उन्हें कानून के माध्यम से जो विशेष अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन हो रहा है तो उन्होंने ऐसे काले कारनामे करने वालों की विदाई का अभियान छेड़ दिया.आज एक बार फिर न्यायपालिका के प्रति विश्वास का दिया टिमटिमाने लगा है.लेकिन जो लोग न्यायपालिका में न होते हुए भी इसके अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं उनका क्या किया जाए.मध्यप्रदेश के लोकायुक्त रिपुसूदन दयाल की नियुक्ति माननीय सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर ही की गई थी. ये माननीय कभी देश की तेजस्विनी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को बरी करने के कारण कांग्रेस पार्टी के विशेष कृपा पात्र बन गए थे.इसी के चलते इन्हें उपकृत करने के लिए पार्टी हाईकमान ने प्रदेश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट दिग्विजयसिंह सरकार पर दबाव डालकर माननीय को लोकायुक्त बनवा दिया था.वर्ष 2003 में नियुक्त किए गए लोकायुक्त महोदय का स्वर्णिम काल यहीं से शुरु हो गया था.उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में जो फैसले किए हैं वे घोटालों और अनियमिताओं की मिसाल बन गए हैं.उनका हर फैसला किसी न किसी लाभ को केन्द्रित करके किया गया है.अब जब उन फैसलों की समीक्षा के लिए सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी चाही जाती है तो वहां पदस्थ अफसर ऐसे चक्कर खिलाते हैं कि कोई आम आदमी दुबारा कुछ जानने का प्रयास ही न करे.जो जानकारी मांगी जाती है वह न देकर इतने बेकार के दस्तावेज थमा दिए जाते हैं कि सामने वाले की जेब ही फट जाती है.इसके बावजूद जो जानकारियां निकलकर सामने आ रहीं हैं वे चौंकाने वाली हैं.माननीय ने फर्जी शिकायतो के आधार पर प्रदेश के अफसरों और नेताओं का जितना भयादोहन किया है वह अब तक का सबसे बड़ा कीर्तिमान बन गया है.मप्र लोकायुक्त संगठन के पास की गई साढ़े चार हजार से ज्यादा शिकायतों में से केवल 350 के करीब प्रकरण ही दर्ज किए गए.बकाया प्रकरणों को किसी न किसी बहाने नगदीकरण के बाद रद्द कर दिया गया.एक अधिकारी तो जब अपने खिलाफ दर्ज किए गए फर्जी प्रकरण में अदालत से छूटकर आ गया तो उसके पास माननीय का चमचा पहुंचा और उसने अफसर को धमकाते हुए कहा कि तुमसे एक लाख रुपए का चंदा चाहिए नहीं तो लोकायुक्त की ओर से अदालत में अपील की जाएगी.जान बचाने की खातिर उस अफसर ने एक लाख रुपए का चंदा देकर अपना पीछा छुड़ाया.इसी तरह की चंदा उगाही की प्रक्रिया से गुजरने और बच निकलने के बाद तो प्रदेश के अफसरों के सामने पकड़े जाने का भय ही दूर हो गया है.उन्होंने जब सीधे लोकायुक्त तक चंदा पहुंचा लिया तो वे भला किससे डरने वाले.इस तरह एक व्यक्ति के लालच के कारण पूरे प्रदेश का माहौल अनाचार की गिरफ्त में आ गया है.उससे जुड़े कानूनी सलाहकार हों या धरपकड़ करने वाले अधिकारी सभी आज करोड़ों में खेल रहे हैं.प्रदेश सरकार के मंत्री और अफसरों की भी वाट लगी पड़ी है.वे लोकायुक्त के खिलाफ आवाज उठाने से भी डरते हैं.यही नहीं अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देने वाले चौथे स्तंभ को भी उन्होंने अपने भ्रष्टाचार के दलदल में खींचने की कोशिशें की हैं.ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनमें लोकायुक्त सीधे तौर पर सबूतों के आधार पर भ्रष्ट नजर आ रहे हैं.चाहे मप्र हाऊसिंग बोर्ड की कालोनियों में मकान हड़पने की बात हो या फिर अफसरों से उगाही के बाद देश के कई शहरों में संपत्तियां खरीदने का मामला सभी में लोकायुक्त भ्रष्टाचार से सने नजर आ रहे हैं.एक व्यक्ति जिसके नाम के आगे जस्टिस शब्द लगता हो और वह किसी चोर और ठग की शक्ल में अन्याय करता नजर आए तो क्या न्यायपालिका इसे मंजूर कर सकती है.माननीय भले ही कभी सम्मानीय न्यायतंत्र के हिस्से रहे हों लेकिन वे आज तो एक सामाजिक अपराधी ही अधिक नजर आ रहे हैं.यदि अखबार इस संबंध में खुलकर नहीं छाप रहे तो इसका मतलब यह नहीं समझ लिया जाना चाहिए कि न्यायपालिका की सतर्कता विंग की आंखों में भी धूल पड़ गई है. सरकार को जज के वेश में छुपे इस संदिग्ध चरित्र के व्यक्ति से डरना बंद करना होगा.सरकार चाहती तो उन्हें विधानसभा में मताधिकार का प्रयोग करके कभी का चलता कर चुकी होती.सुप्रीम कोर्ट ने यह कभी नहीं कहा कि किसी पतनशील व्यक्ति को आप सर आंखों पर बिठाए रखें. न्यायपालिका कभी किसी को भ्रष्टाचार का लाईसेंस नहीं देती,जज को भी नहीं.क्योंकि कानून सभी के लिए एक है.

भ्रष्टाचार के संहार का महायज्ञ

हिंदुस्तान तेजी से दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बना रहा है. नई पीढ़ी इसे एक बार फिर संसार का सिरमौर बनाने में जुटी है.देश के बाहर कई मोर्चों पर हिंदुस्तान के लोग हमारा सिर फख्र से ऊंचा करने में जुटे हैं.देश के भीतर भी बहुतायत में लोग इसी विचार की मशाल को जलाए हुए हैं.इसके बावजूद ऐसे कई मुकाम हैं जहां आज भी संक्रमण कालीन चोरी,मक्कारी और बेईमानी के संस्कार जीवित हैं. सफलताओं और संपन्नताओं के ढेर पर बैठे लोग भी छल प्रपंच और धोखाधड़ी से दौलत समेटने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहे हैं.यही कारण है कि तेजी से आगे बढ़ते हिंदुस्तान का सीना आज गर्व से फूल नहीं रहा है.भ्रष्टाचार को आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कलंक माना जा रहा है.इसे मिटाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं.मध्यप्रदेश में भी इसे रोकने के लिए कई संस्थाएं बनाई गई हैं.ऐसी ही एक संस्था मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन है. इस संस्था की गरिमा रही है.इस संगठन के सिंहासन पर आसीन होने वाले गणमान्य लोगों ने बुद्धिमानी और ईमानदारी की कई मिसालें पेश की हैं.संस्था प्रमुख पद की शोभा बढ़ाने वाले कई विद्वान न्यायाधीशों ने सरकारों की मक्कारियों और दबाव के आगे भी अपनी शान का परचम झुकने नहीं दिया है. मध्यप्रदेश की सबसे भ्रष्ट दिग्विजयसिंह सरकार ने जब भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करने की नीति बनाई थी तो जस्टिस फैजानुद्दीन जैसे धीर गंभीर लोकायुक्त जरा भी नहीं डिगे थे.लेकिन आज यह स्थिति नहीं बची है.मध्यप्रदेश के लोकायुक्त जैसे गरिमामयी पद पर बैठे जस्टिस रिपुसूदन दयाल कई आरोपों से घिरे नजर आ रहे हैं.उन्होंने देश के कई स्थानों पर जो दौलत जुटाई है वह उनके भ्रष्टाचारों का ज्वलंत प्रमाण बन गई है.दिल्ली में करोड़ों को कोठियां हों या मेरठ और भोपाल की दौलत सभी स्थानों पर उनके लालच ने न्यायाधीश जैसी प्रतिष्ठित पदवी की छवि तार तार कर दी है.भोपाल में तो उन्होंने किसी झुग्गीवाले अतिक्रमण कारी की तरह ग्रीन बेल्ट पर ही अपना अतिक्रमण ठोक दिया है.इस काम को वैधानिकता का दर्जा देने के लिए उन्होंने मप्र हाऊसिंग बोर्ड जैसी संस्था के तंत्र का सहारा लिया है.अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने राजधानी के रिविएरा टाऊन में ग्रीन बेल्ट की जमीन को बगैर लाटरी हथियाने का करिश्मा कर दिखाया है.करीब नब्बे लाख रुपए की फोकट हथियाई गई जमीन आज उनके लालच के गटर की गंदगी को उजागर कर रही है. इस अकेले एक मकान को पाने के लिए उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार के खजाने को करीबन डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक की चपत लगा दी है.इस मकान का स्वामित्व पाने के लिए उन्होंने लीज डीड के दस्तावेजों का मजमून बदल डाला है.इससे वे इस

(शेष भाग पेज सात पर पढ़िए)

लोकायुक्त संगठन को भंग कराने की साजिश किसने रची

आपने शायद कभी किसी व्यक्ति को अदालत में जाकर ज्ञापन देते नहीं देखा होगा.अदालत में याचिका लगाने की एक विधि है जिसके बाद अदालत तथ्यों की विवेचना करती है और फिर अपना फैसला सुनाती है.कभी कोई अदालत केवल किसी की अपील के आधार पर ही फैसला नहीं सुना देती.मध्यप्रदेश में लोकायुक्त संगठन को भी लगभग इसी तरह देखा जाता रहा है.लोगों में इस पद के प्रति सम्मान बना हुआ है इसका परिचय तब मिला जब पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती ने लालघाटी से लोकायुक्त संगठन कार्यालय तक पैदल मार्च किया और प्रदेश के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.उनकी इस मांग पर माननीय ने उन्हें नेताओं की तरह आश्वासन भी दे दिया कि वे कुछ दिनों में नतीजे दिखाएंगे.जब उमा भारती से पत्रकारों ने कहा कि ये माननीय तो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं तो वाकपटु उमाजी ने फंदे से निकलने के लिए कहा कि वे तो लोकायुक्त की कुर्सी के सामने आईं हैं उन्हें इस पर बैठे व्यक्ति के चरित्र से कुछ नहीं लेना देना.उमा जी ने ही वाणिज्यिक कर उपायुक्त ऋषभ जैन की कथित हत्या के बाद लोकायुक्त को भरपूर कोसा था क्योंकि उनके संरक्षण के ही कारण डीएसपी मोहकम सिंह नैन के नेतृत्व में श्री जैन की बेरहमी से पिटाई की गई और जिसके कारण श्री जैन का दम निकल गया.मुद्दे की बात तो यह कि जब लोकायुक्त के पास जज के अधिकार ही नहीं हैं तो वह किस हैसियत से फतवे सुना रहे हैं. मध्यप्रदेश के लोकायुक्त माननीय जस्टिस रिपुसूदन दयाल को हाईकोर्ट से रिटायर हुए अरसा बीत गया.लेकिन जीवन की अंतिम पारी में उनकी जो कारगुजारियां सामने आ रहीं हैं वे चौंकाने वाली हैं.अब तक के सभी लोकायुकों ने इस पद की गरिमा की परंपरा को निभाया है.लेकिन पहली बार यह गरिमा चकनाचूर हो गई है.इसे खंडित करने का काम किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं लोकायुक्त महोदय ने ही किया है.वे इतने घोटालों और विवादों में घिर गए हैं कि उन्हें अब एक भी दिन उस पद पर बने रहने का नैतिक आधार नहीं बचा है. इसके विपरीत उनकी न्यायाधीश की खामख्याली बाकायदा बनी हुई है. माननीय ने दौलत जुटाने की हवस में जो घोटाले किए हैं वे एक एक करके सामने आते जा रहे हैं.उन्होंने मप्र हाऊसिंग बोर्ड का एक मकान खरीदने में जो घोटाले किए उसकी खबर छापने पर माननीय ने हिंदुस्तान टाईम्स अखबार को नोटिस भेज दिया.इस नोटिस को प्रचारित भी खूब किया गया ताकि दूसरे अखबारों को भी नसीहत थमाई जा सके और वे उनके खिलाफ खबर छापने की हिमाकत न करें.वे बार बार खुद को न्यायाधीश बता रहे हैं. यह सीधा सा गणित किसी की भी समझ में आ सकता है कि न्यायाधीश कोई खुदा नहीं है. भारत में न्यायाधीश यदि चोरी करता पकड़ा जाए तो उसके लिए भी वही सजा है जो आम आदमी के लिए है.यह जरूर है कि उस सजा की चर्चा सार्वजनिक तौर पर नहीं की जाती ताकि न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बना रहे. अब जो व्यक्ति न्यायाधीश नहीं है और वह एक भ्रष्ट चपरासी की भांति नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए आर्थिक घोटाले करे और जब पकड़ा जाये तो न्यायाधीश की हेकड़ी दिखाने लगे ,तो इसे क्या कहा जाएगा. यदि मध्यप्रदेश के अधिकतर अखबार इतनी सदाशयता दिखा रहे हैं कि वे एक भ्रष्ट व्यक्ति को भी अपने पद से इस्तीफा देने का मौका दे रहे हैं तो वह उन्हें अवमानना का नोटिस देकर उकसा रहा है कि वे उसका मुंह काला करके ही घुमाएं तभी वह कुर्सी से उतरेगा.इसे बेशर्मी से आगे बढ़कर बेहयाई नहीं तो क्या कहा जाएगा.इसका मतलब साफ निकाला जा सकता है कि महाशय चाहते हैं कि आप उन्हें इसी कुर्सी पर बिठाकर गरियाएं ताकि इस कुर्सी की रही सही गरिमा का भी दम निकल जाए.वे कांग्रेस के उन छुटभैये नेताओं से बयान जारी करवा कर कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि वे ऐसा करके अपनी पार्टी की छवि ही बिगाड़ रहे हैं. क्या जनता किसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति या उसके समर्थकों की वाहवाही कर सकती है. जबसे महाशय पर आरोप लगे हैं तबसे वे आपा खो बैठे हैं. मप्र लोकायुक्त संगठन ने माननीय लोकायुक्त के खिलाफ की गई तथ्यात्मक शिकायत पर प्राथमिकी स्वीकार तो कर ली पर दर्ज नहीं की.इसके बावजूद जांच के नाम पर बाकायदा संगठन की ओर से नोटिस निकाले गए और मामला दर्ज किए बगैर बयान लिए गए. संगठन के अधिकारियों ने तो बाकायदा नोटिस देकर मप्र हाऊसिंग बोर्ड के अफसरों को हलाकान कर दिया .उन्होंने बोर्ड के इंजीनियरों के खिलाफ फर्जी शिकायतें बुला रखीं हैं.इन इंजीनियरों को रोज रोज बुलाया जा रहा है और उनसे तमाम रिकार्ड सही करने के लिए झूठे दस्तावेज बनाकर रिकार्ड दुरुस्त करवाया जा रहा है.जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि उन्होंने रिकार्ड दुरुस्त कर लिया है तो हिंदुस्तान टाईम्स को अवमानना का नोटिस भेज दिया गया. उन्होंने यह न सोचा कि एक साहसी पत्रकार मनीष दीक्षित ने तो उनके निजी मकान की खरीद में किए गए घोटाले की खबर छापी थी.यह जरूर है कि यह घोटालेबाज शख्स आज तकमप्र का लोकायुक्त है.यदि माननीय में थोड़ी भी शर्म होती तो वे इस्तीफा देकर अपने खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने का मौका देते.तब शायद कहा जा सकता था कि वे न्यायपालिका या लोकायुक्त संगठन जैसी संस्थाओं की प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने पद की भी कुर्बानी कर सकते हैं. लेकिन वे कुर्सी पर जमे हैं और उसे भी दागदार बनाने में जुटे हैं. उनकी हरकतों से साफ नजर आ रहा है कि वे लोकायुक्त संगठन को भंग कराने की कोशिश कर रहे हैं.(पीआईसी).

भ्रष्टाचारियों को क्यों मिलेगा संवैधानिक कवच-राज्यपाल को ज्ञापन

भोपाल (पीआईसी). लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री दयाल किस तरह अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं इस संबंध में उनकी शिकायत करने वाले दोनों याचिका कर्ताओं ने राज्यपाल डॉ.बलराम जाखड़ को ज्ञापन सौंपा.इस ज्ञापन में संवैधानिक पद का दुरुपयोग साबित करने वाली कुछ घटनाओं का उल्लेख किया गया है. महामहिम से अनुरोध किया गया है कि वे संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने वाले श्री दयाल को पद से हटाने की व्यवस्था दें ताकि उन पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जा सके. उनके खिलाफ प्रस्तुत किए गए तथ्यों की जांच के लिए कोहेफिजा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी की गई .इस संबंध में स्थानीय प्रथम श्रेणी जिला न्यायाधीश ने भी इसी तरह के निर्देश 19 जून को दिए इसके बावजूद पुलिस अपराध कायम करने में कोई रुचि नहीं दिखा रही .

रिविएरा टाऊन में मप्र हाऊसिंग बोर्ड का मकान पाने के लिए रिपुसूदन दयाल महोदय ने जो दस्तावेजी हेरफेर किए उसकी शिकायत करने वाले पत्रकार आलोक सिंघई और हाईकोर्ट के एडव्होकेट नरेन्द्र भावसार ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन उनके सचिवालय को सौंपा.जिसमें बताया गया कि उन्होंने 28 मई 2008 को भ्रष्टाचार रोकने की सबसे बड़ी संस्था विशेष पुलिस लोकायुक्त संगठन में एक शिकायत की थी.इस लिखित शिकायत में राजधानी में मप्र गृह निर्माण मंडल की ओर से विकसित कराए जा रहे रिविएरा टाऊन ड्यूप्लेक्स भवन की खरीदी में श्री दयाल एवं अन्य व्यक्तियों के भ्रष्टाचारों का उल्लेख किया गया है.इस सौदे में दांडिक अपराध जैसे धोखाघड़ी कर दस्तावेजों में स्टैंप ड्यूटी और अन्य राशि को बचाने की नियत से शासन को आर्थिक हानि पहुंचाई गई है.

विशेष पुलिस स्थापना संगठन के पुलिस अधीक्षक श्री लोहानी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 154 के अंतर्गत श्री दयाल के विरुद्ध प्राथमिकी तो दर्ज की नहीं बल्कि हमें नोटिस देकर 4.06.2008 को अपने कार्यालय में कथन के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए.इसी कारण हमने पुलिस अधीक्षक के सामने उपस्थित होकर लिखित आवेदन दिया जिसमें संगठन की कार्रवाई का कड़ा प्रतिरोध किया क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लल्लन चौधरी बनाम बिहार राज्य के फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा है कि संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य हैं.इसलिए बिना प्राथमिकी दर्ज किए विशेष पुलिस संगठन को आगे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए.जिस पर श्री लोहानी सहमत हुए और उन्होंने कहा कि इस पत्र का जवाब आपको संगठन की ओर से दिया जाएगा.लेकिन आज दिनांक तक भी संगठन ने न तो कोई जवाब दिया न ही कोई कार्रवाई की .

इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित निर्णय की अवहेलना की बल्कि हमारी आपत्ति का जवाब न देते हुए अपनी प्राथमिक जांच अवैधानिक तरीके से जारी रखी.संगठन ने इस दौरान मप्र हाऊसिंग बोर्ड और पंजीयक मुद्रांक कार्यालय के कर्मचारियों के बयान हमारी गैर मौजूदगी में दर्ज किए.इस दौरान हमारी शिकायत को झूठी करार देने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए गए. श्री दयाल के दबाव में कर्मचारियों ने गोलमोल तरीके से हमारी शिकायत को झूठी करार देने का प्रयास किया और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हमारे विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भोपाल श्री डी.के.सिंह के न्यायालय में मुकदमा प्रस्तुत कर दिया.अपने बचाव में उन्होंने जो मुकदमा दायर किया उसकी पुष्टि दैनिक भास्कर के 20.06.2008 को प्रकाशित साक्षात्कार से होती है.यह नैसर्गिक न्याय के विपरीत षडयंत्र पूर्वक उठाया गया कदम है.सूचना के अधिकार के अंतर्गत हमने आवेदन देकर पुलिस अधीक्षक महोदय से सह अभियुक्तों के कथनों की प्रतिलिपियां मांगी थीं जो आज तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गईं .

यह गौरतलब है कि हमने अपनी लिखित शिकायत 28.05.08 को की थी जबकि श्री लोहानी ने हमें 4.06.08 को सम्मन जारी करके बुलाया था हमने अपने आवेदन में धारा 154 सीआरपीसी का उल्लेख करते हुए निवेदन किया था कि प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है इसके बाद ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित लल्लन चौधरी के प्रकरण में दिए गए निर्णय अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है.परंतु कानूनी प्रावधानों का पालन न करते हुए विशेष पुलिस संगठन द्वारा अल्पावधि में न केवल प्रारंभिक जांच पूर्णतया अवैधानिक तरीके से संपादित की गई बल्कि उसके आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी भोपाल के न्यायालय में हमारे विरुद्ध झूठी शिकायत दायर की.लोकायुक्त संगठन के इतिहास में प्रथम बार किसी शिकायत का अपने सुप्रीमो श्री दयाल का अपने स्वयं को क्लीनचिट देने के लिए शीघ्र निराकरण किया गया इस कारण पूर्ण प्रक्रिया अवैधानिक है.विशेष पुलिस संगठन द्वारा श्री दयाल के कहने पर भोपाल न्यायालय में हमारे विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दायर किया गया.इसे श्री दयाल द्वारा दिनांक 20.06.2008 को प्रकाशित दैनिक भास्कर में दिए गए साक्षात्कार में इसकी पुष्टि की गई है .अन्य सहअभियुक्तों से जो कथन लिए गए हैं उनकी प्रतिलिपियां भी हमने सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी थीं फिर भी वे हमें आज तक नहीं दी गई हैं.

जब हिंदुस्तान टाईम्स के संवाददाता मनीष दीक्षित ने हमारी शिकायत के पहले ही अपने अखबार में इसी विषय पर लेख प्रकाशित किया तो लोकायुक्त संगठन ने आनन फानन में श्री दीक्षित के खिलाफ अवमानना का प्रकरण चला दिया.इस प्रकार विशेष पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने मनीष दीक्षित को जानबूझकर प्रताड़ित इसलिए किया ताकि अन्य मीडिया से जुड़े लोग भी सबक लें और लोकायुक्त के खिलाफ उनकी अनियमिताओं का भंडाफोड़ न करें.

हमें हताश करने और प्रकरण को दूसरी दिशा देने के लिए श्री दयाल ने सुनियोजित षडयंत्र के तहत विशेष पुलिस संगठन की प्रारंभिक जांच के आधार पर कथित तौर पर हमारे खिलाफ झूठी शिकायत अदालत में भी दायर की है जो गैरकानूनी है .वे स्वयं को जज मानकर न्यायपालिका प्रमुख की तरह मानकर बर्ताव कर रहे हैं और अपने ही मामले में वे खुद को क्लीनचिट दे रहे हैं.जबकि इसकी जांच किसी स्वतंत्र जांच से कराई जानी चाहिए थी.लेकिन जानबूझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया.

लोकायुक्त पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया तब हमने कोहेफिजा थाने में प्रकरण दर्ज कराया था.हमारी कोशिश थी कि पुलिस जांच करे लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की इसलिए विवश होकर हमें भोपाल की अदालत में परिवाद दायर करना पड़ा माननीय न्यायालय ने परिवाद पर विचार करते हुए थाना कोहेफिजा को जांच करने का आदेश दिया.यहां उल्लेखनीय है कि हमने जिन वकीलों को पैरवी के लिए अधिकृत किया गया था उन्हें अज्ञात लोगों ने इतना दबाव डाला कि उन्होंने पैरवी करने से इंकार कर दिया.इस प्रकार हमें हमारे प्रकरण में खुद पैरवी करनी पड़ी.

इस प्रकार श्री दयाल हर प्रकार के अवैधानिक तरीके हमें डराने के लिए अपना रहे हैं.ऐसी स्थिति में सर्वथा असंभव है कि कोहेफिजा पुलिस इस प्रकरण में अपनी जांच पूरी कर पाएगी.हमारी पुख्ता जानकारी के अनुसार संपूर्ण सरकारी तंत्र अत्यंत दबाव में है और सपने में भी श्री दयाल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है. क्योंकि पूर्व के कई कड़वे अनुभव उनके जेहन में अभी भी ताजे हैं.सर्वोच्च न्यायालय के अन्य निर्णय मोहम्मद यूसुफ बनाम श्रीमती आफाक जहां के फैसले के मद्देनजर कोहेफिजा पुलिस थाने को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए इसके बाद ही जांच की जानी चाहिए लेकिन प्राथमिकी दर्ज न होने से साफ है कि सरकारी तंत्र को प्रभावित किया जा रहा है.

श्री दयाल ने व्यक्तिगत हैसियत से मकान खरीदा है इसलिए वे जज की तरह

(शेष भाग पेज सात पर पढ़िए)

लोकायुक्त संगठन के फैसले संदिग्ध

मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाए गए लोकायुक्त संगठन की ही जांच इस बार कसौटी पर है.उसके अधिकारी किस तरह तथ्यों को तोड़मरोड़कर कानून की परिधि में लाते हैं यह तथ्य पहली बार उजागर हुआ है. संगठन की ओर से माफी पाने वालों की सूची बड़ी लंबी है,जो यहां के कारनामों की गवाही देती है.

भोपाल (पीआईसी). मध्यप्रदेश के लोकायुक्त संगठन ने पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचारों की शिकायतों पर जो रवैया अपनाया है उससे पूरे संगठन की कार्यप्रणाली ही संदिग्ध हो गई है.सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो जानकारियां बटोरी गईं हैं वे अपने आप में लोकायुक्त की कार्यप्रणाली को संदेह के दायरे में लाती हैं.इससे अधिक जानकारियां वे हैं जिन्हें लोकायुक्त संगठन लंबे समय से टालामटूली के बाद भी उपलब्ध नहीं करा रहा है.जानकारियां देने के बाद संगठन की ओर से लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं कि इन जानकारियों का इस्तेमाल खबरों में न किया जाए क्योंकि इनमें से कई प्रकरण अदालत में चल रहे हैं.फैसले छापने से अदालत की अवमानना होगी. अब जब पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इन प्रकरणों के संबंध में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को शिकायत कर दी है और दस्तावेज सार्वजनिक हो गए हैं तो जाहिर है कि इनकी जानकारी पाना सूचना के अधिकार के समान जनता का भी अधिकार है. ये जानकारियां देश के किसी भी माननीय न्यायालय की अवमानना करने के उद्देश्य से नहीं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं. प्रस्तुत हैं लोकायुक्त के भ्रष्टाचारों की कहानी कहते कुछ प्रकरण जो कि रिविएरा टाऊनशिप में खरीदे गए मकान में किए गए करीबन 90 लाख रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार से कई गुना अधिक अनाचरण की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं.

श्री प्रहलाद पटेल ने अपनी शिकायत में जबलपुर के तत्कालीन अपर कलेक्टर और वर्तमान में ऊर्जा सचिव संजय बंदोपाध्याय और सहायक पुनर्वास अधिकारी के.सी.मिश्रा के खिलाफ कायम किए गए अपराध क्रमांक 15 / 99 और अपराध क्रमांक 16 /99 का उल्लेख किया है.इन मामलों में अन्वेषण के बाद लोकायुक्त के विधि सलाहकार ने अनुशंसा की कि अभियुक्तों के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13(1) डी ,13(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) के अधीन अभियोग प्रस्तुत किया जाए.लोकायुक्त ने भी यही आदेश किया था.बाद में एक अभ्यावेदन के बहाने लोकायुक्त ने ही दोनों प्रकरणों में खात्मा लगाने की अनुशंसा कर दी.(इस प्रकरण के एवज में भारतीय मुद्रा का लेनदेन हुआ उसके बाद श्री रिपुसूदन दयाल के लड़कों को मप्र विमं के ढेरों मुकदमे और मोटी फीस दी गई इसकी कहानी अलग प्रस्तुत की जा रही है)लोकायुक्त के निर्देश अनुसार पुलिस उप महानिरीक्षक ने बिना नियमों की परवाह किए दिनांक 5.08.2004 को विशेष पुलिस स्थापना जबलपुर को इन प्रकरणों में खात्मा प्रस्तुत करने के आदेश दे दिए.इसी के बाद फरवरी 2005 में न्यायालय में खात्मा भी पेश कर दिया गया.एक बार जब अभियोग प्रस्तुत हो जाता है तो बचाव पक्ष के मामले पर विचार का अधिकार अनुसंधान करने वाली एजेंसी को नहीं होता.जाहिर है कि संबंधित अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके अभियुक्तों को नाजायज लाभ पहुंचाया और इस गंभीर अनियमितता के मामले में आरोपी को लोकायुक्त की ओर से दोष मुक्त कर दिया गया.

ऐसे ही कई मामले हैं जो लोकायुक्त महोदय के भ्रष्टाचारों की कहानी बयां करते हैं.सिवनी के लखनादौन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ डॉ.जगदीश प्रसाद को लोकायुक्त पुलिस ने तीन सौ रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.मुन्नालाल दुबे की शिकायत पर पकड़े जाने के बाद उन्हें मुचलके पर छोड़ दिया गया.इससे पहले पांच सौ रुपए की रिश्वत लेने की घटना को टेप पर रिकार्ड किया गया था.मामले की विवेचना के बाद उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस महानिदेशक ने आरोपी के विरुद्ध धारा 13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 के अंतर्गत पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियोजनकी अनुशंसा की थी.

लोकायुक्त के विधिक सलाहकार ने आरोपी के पक्ष में राय लेकर पहले तो मामले की पूरक विवेचना कराई,जब पूरक विवेचना में भी मामला प्रमाणित पाया गया तो मामले पर दुबारा विधिक अधिकारी वीरेन्द्र सिंह से आरोपी के पक्ष में राय लिखवाकर नगद रिश्वत के इस प्रमाणित मामले में खात्मा लगाने के निर्देश दे दिए गए.इससे भी आगे जाकर इस मामले में विवेचना करने वाले इंस्पेक्टर के खिलाफ ही उलटी कार्रवाई प्रस्तावित कर दी गई.(भ्रष्ट विधिक अधिकारी विरेन्द्र सिंह और लोकायुक्त रिपुसूदन दयाल दोनों ने मिलकर अभियुक्त को लाभ पहुंचाया,डॉ.जगदीश प्रसाद कांग्रेस के दो नेताओं का रिश्तेदार है. श्रीमती जमुनादेवी जो लोकायुक्त के पक्ष में बयान दे रहीं थीं उसके पीछे यह मामला भी एक कारण बताया जाता है).

शिवपुरी के जलसंसाधन विभाग की सिंध परियोजना में कार्यपालन यंत्री के रूप में पदस्थ रहे एम.एल.कठपालिया को विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा था.उन्हें भिंड के महेन्द्र नगर के एक ठेकेदार प्रवीण सिंह भदौरिया की शिकायत पर पंद्रह हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था.जांच के बाद उप पुलिस महानिरीक्षक ने अपना पहला प्रतिवेदन 5.2.2005 को भेजा.इसमें अभियोजन की कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी.ऐसी ही अनुशंसा महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना श्री कापदेव ने 7.2.2005 को की थी. लेकिन माननीय लोकायुक्त महोदय ने विधि सलाहकार विरेन्द्र सिंह से आरोपी के पक्ष में अभिमत लेकर बार बार उलझाया और इसमें पूरक विवेचना के आदेश होते रहे.पूरक विवेचना के बाद भी उप महानिरीक्षक ने 21.9.2005 को अपनी टीप भेजी.इस टीप में उन्होंने आरोपी कठपालिया के विरुद्ध धारा 713.(1)डी,13(2) पीसी एक्ट के अंतर्गत मामला अभियोजन के योग्य मानते हुए चालान प्रस्तुत करने की अनुमति चाही.इस पर दुबारा विवेचना कराई गई.उप महानिरीक्षक ने इस पर दुबारा 24.02.2006 को टीप लिखी जिसमें प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई थी.पुलिस महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना श्री कापदेव ने भी 25.02.2006 को ऐसी ही अनुशंसा की थी. लोकायुक्त ने दुबारा यह मामला विधि सलाहकार विरेन्द्र सिंह के पास भेज दिया.उन्होंने आरोपी से अपने ही पक्ष में बयान लिए और प्रकरण समाप्त करने की सलाह दी.जिस पर मामले का खात्मा भेज दिया गया.इस प्रकार लोकायुक्त और विधिक अधिकारी के गिरोह ने सरेआम रिश्वत लेते पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारी के मामले को खात्मा लगाकर लोकायुक्त संगठन की विश्वसनीयता चकनाचूर कर दी.कठपालिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला भी दर्ज था जिसे भी इसी तरह खत्म कर दिया गया.(अभियुक्त को लाभ पहुंचाने के एवज में खुद को जस्टिस कहलाने वाले रिपुसूदन दयाल ने जो अन्याय किया वह एक प्रमाणिक दस्तावेज बन गया है. ऐसे में भ्रष्ट दयाल का बचाव करने के लिए आगे आने वाले राजनीतिक दल आखिर किसके लिए राजनीति कर रहे हैं.)

लोकायुक्त की काली कमाई का साम्राज्य खड़ा करने में विशेष सहयोगी रहे डीएसपी मोहकम सिंह नैन के भाई अनूप सिंह नयन का मामला भी इसी प्रकार की एक मिसाल है.अनूप नैन जब सीहोर के थाना श्यामपुर में थाना प्रभारी थे तब उन्हें एक हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था.रंगे हाथों धरे गए इस थानेदार के मामले को लोकायुक्त ने खात्मा लगाने का निर्देश दे दिया.जब यह मामला सीहोर के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के सामने पहुंचा तो माननीय न्यायाधीश ने कहा कि इस प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं इसलिए इसका खात्मा नामंजूर किया जाता है.5.3.2005 को यह मामला वापस भेज दिया गया.लेकिन लोकायुक्त ने 10.06.2006 को इस मामले में दुबारा खात्मा भिजवा दिया.

जबकि ऐसे ही एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विनीत नारायण विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया (एस.सी.889,1998 के मामले में स्पष्ट तौर पर कहा है कि आपराधिक अन्वेषण दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन होता है और पुलिस अधिकारियों से भिन्न किसी भी अन्य को इसमें कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.

इसके बावजूद लोकायुक्त और उनके विधिक सलाहकार ने निर्देश दिए और विशेष पुलिस स्थापना के अधिकारियों ने इस अवैधानिक निर्देश का पालन किया जो कि गंभीर अपराध है.

ट्रेप के इन मामलों के अलावा कई ऐसे प्रकरण भी हैं जिनमें पुलिस अधिकारियों ने प्रमाणित मामलों को खात्मा योग्य बनाया और आरोपियों को लाभ पहुंचाया.इस प्रकार भ्रष्टाचार कर मामलों को निपटाने की कार्रवाईयों की वजह से पिछले वर्षों में लोकायुक्त संगठन में ट्रेप और छापे के दर्ज मामले लगातार कम हुए हैं.इस स्थिति पर पूर्व लोकायुक्त ने चिंता भी व्यक्त की है.

लोकायुक्त संगठन में इसी प्रकार भ्रष्टाचार के जांच प्रकरणों और अन्य अपराधों में भी घोटाले किए गए हैं.जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति पंजाब सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 170 / 2003 में भी लोकायुक्त महोदय की विशेष कृपा उजागर हुई है.जबलपुर में आए विनाशकारी भूकंप की वजह से कृषि विवि की इमारतों को हुई क्षति की वजह से कुछ मरम्मत और निर्माण कार्यों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार से ढाई करोड़ रुपए 1997-99 के दौरान मंजूर हुए थे.इन कामों में भारी भ्रष्टाचार किया गया.जबलपुर निवासी महेन्द्र वाजपेयी ने निर्माण और मरम्मत के कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत की.प्राथमिक जांच में पाया गया कि निर्माण मरम्मत के नाम पर गंभीर अनियमितताएं हुईं हैं.यह भी प्रमाणित हुआ कि राशि जिस उद्देश्य से निकाली गई वह काम छोड़कर अन्य कार्यों पर वह राशि खर्च कर दी गई.इस मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम और भारतीय दंड विधान की धारा 120-बी के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया जाए.

यह भी पाया गया कि बिना निविदा बुलाए जिस ठेकेदार के आवेदन पर कार्य स्वीकृत हुए उस ठेकेदार नलिन गाला का पीडब्ल्यूडी,सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस में पंजीयन ही नहीं था.बिना टेंडर डाले एक अन्य ठेकेदार को भी कार्य दिया गया.जिसका टेंडर कम से कम था उस प्रदीप जायसवाल नाम के ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया गया.इस प्रकार तय दर से 27 फीसदी अधिक भुगतान करने की सहूलियत के बजाए 85 प्रतिशत अधिक कीमत तक के कार्य स्वीकृत किए गए.भ्रष्टाचार के माध्यम से कई ठेकेदारों और अधिकारियों को लाभ पहुंचाया गया.जांच के बाद महानिरीक्षक ने यह मामला सर्वश्री तत्कालीन कुलपति के.एस.जौहर,जवाहर लाल नेहरू कृषि विवि जबलपुर के कुलपति पंजाबसिंह, और कार्यपालन यंत्री जीवनानंद पांडे के विरुद्ध 13(1),13(2)पी.सी.एक्ट1988 और भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी का अपराध प्रमाणित पाकर अभियोजन के योग्य पाया.यह सब हो जाने के बाद पुलिस महानिदेशक और लोकायुक्त ने इस मामले की लीपापोती की और जांच में लिए गए सात आरोपों में से सिर्फ एक आरोप में अत्यधिक कनिष्ठ कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करके 12.0.2005 को शेष छह मामले समाप्त करने के निर्देश दिए.

गंभीर अनियमितता के इस प्रमाणित मामले को भ्रष्टाचार के माध्यम से रफा दफा कर दिया गया.जबकि जबलपुर के पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना ने भी मामले को सिद्ध पाते हुए आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 13(1) डी,13(2) एवं भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की थी.यही नहीं इस मामले में उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 27378 ।03 के प्रकरण के प्रभारी डीएसपी श्री आर एन पटेरिया ने मामले को अभियोजन योग्य मानते हुए मामले का चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने का कथन याचिका के जवाब में दिया था.इस प्रकार आरोपियों को लाभ पहुंचाने के लिए न्यायालय तक को अंधेरे में रखा गया.

रिविएरा टाऊन के जिस मकान नंबर 60 की खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोपों से इन दिनों लोकायुक्त रिपुसूदन दयाल जूझ रहे हैं यह मकान मप्र गृह निर्माण मंडल के तत्कालीन आयुक्त राघवचंद्रा ने बतौर सौगात उन्हें उपलब्ध कराया था.इस मकान के साथ लगी जमीन और प्लॉट की अतिरिक्त जमीन की कीमत भी लोकायुक्त महोदय से नहीं वसूली गई.मकान की किस्तें किन किन लोगों ने भरीं ये भी अलग जांच का विषय है.लेकिन इसके एवज में माननीय ने अपराध क्रमांक 165।02 से राघवचंद्रा को बेदाग बचाकर निकाल लिया.

यह मामला मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल की योजना के लिए कटनी में भूमि खरीदने से संबंधित है.इस मामले में न केवल आवश्यकता से अधिक और अनुपयोगी जमीन खरीद ली गई बल्कि जो दरें दी गईं वे प्रचलित दरों से कई गुना ज्यादा थीं.विशेष न्यायाधीश कटनी ने जो फैसला सुनाया उसमें आरोपित है कि इस मामले में मंडल को 4,95,85, 279 (चार करोड़ पन्चानवे लाख पिच्यासी हजार दो सौ उन्यासी रुपयों)की चपत लगी थी.लोकायुक्त संगठन ने इस मामले में खात्मा लगा दिया.लेकिन विशेष न्यायालय कटनी ने खात्मा नामंजूर कर दिया.लोकायुक्त संगठन ने 2.4.2004 को दुबारा खात्मा भेजा इस बीच कटनी न्यायालय के आदेश दिनांक 5.5.2003 के विरुद्ध तत्कालीन आयुक्त गृह निर्माण मंडल श्री राघवचंद्रा माननीय उच्च न्यायालय गए जहां उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद इस खात्मा प्रतिवेदन क्रमांक(12 / 3) पर विशेष न्यायालय कटनी में दुबारा गुणदोष के आधार पर सुनवाई हुई.

इस मामले में भी माननीय विशेष

नोट तंत्र चलाने वालों की माफी तय

संगठन ने भ्रष्टाचार में सिद्धहस्त चतुर सुजान लोगों को कानून की जकड़ से छूटने के इतने सारे मार्ग खोल रखे हैं कि उनमें से आसानी से निकला जा सकता है.इसके लिए जनता के खजाने पर डाका डालने वालों को उपकार मुद्रा का इस्तेमाल करना होता है.जो सिर्फ लोकायुक्त संगठन में ही चलती है.

न्यायालय कटनी ने 26.4.2005 को दिए अपने आदेश में दुबारा खात्मा नामंजूर कर दिया. अदालत ने ये भी कहा कि अभियुक्तों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन की मंजूरी ली जाए.इसके साथ प्रकरण को आपराधिक पंजी में भी दर्ज किया जाए.लोकायुक्त संगठन ने अभियोजन की सक्षम कार्यवाई करने के बजाए इस मामले को राघवचंद्रा के पक्ष में उच्च न्यायालय में रिवीजन लगाने के लिए प्रमुख सचिव विधि को अपने पत्र क्रमांक 4330 / 165 / 02 / विशेष पुलिस स्थापना / 2005 दिनांक 19.5.2005 के माध्यम से अनुरोध पत्र भेजा जिस पर शासन ने रिवीजन याचिका लगा दी.इस कार्रवाई को देखकर उच्च न्यायालय में ही एक अलग से याचिका दायर की गई .इस याचिका क्रमांक 28621 / 03 में माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री आर.व्ही.रवीन्द्रन और माननीय न्यायाधीश श्री के.के.लाहोटी ने मामले की जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से कराने के निर्देश 7.9.2005 को दिए .इस मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिस पर कार्रवाई लंबित है.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(1) के अधीन राज्य शासन की ओर से उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद नियुक्त किए जाने वाले लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक ही राज्य सरकार की ओर से अभियोजन,अपराध अपील या अन्य आपराधिक प्रकरणों की पैरवी कर सकते हैं.श्री जी.एस.अहलुवालिया राज्य शासन की ओर से नियुक्त लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हैं इसके बावजूद आपराधिक रिवीजन, मिसलेनियस क्रिमिनल रिवीजन आदि अनेकों आपराधिक प्रकरणों की पैरवी न्यायालय में करने के एवज में उन्हें फीस के रूप में 2,93,000 रुपए लोकायुक्त संगठन की ओर से 10.12.2007 को उन्हें भुगतान किए गए हैं.जो व्यक्ति किसी पद पर ही नहीं है उसे उस पद का पैसा कैसे दिया जा सकता है.जाहिर है कि लोकायुक्त संगठन की ओर से पद का दुरुपयोग करके श्री अहलुवालिया को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.जिससे राज्य शासन को आर्थिक हानि उठाना पड़ी.यह कृत्य धारा 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध है.इसीलिए इस मामले में भी आपराधिक प्रकरण कायम करके आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है.

वाणिज्यिक कर विभाग में आयुक्त रहे विश्वपति त्रिवेदी के खिलाफ लोकायुक्त संगठन को 2.1.2004 को एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई थी.जिसमें उनके खिलाफ 16 गंभीर आरोप लगाए गए थे.इन आरोपों में से अधिकतर में विभिन्न इकाईयों को टैक्स में छूट देकर लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे.कर अपवंचन के मामलों में इकाईयों को लाभ पहुंचाने,करों की वसूली में इकाईयों को सहयोग पहुंचाने और कर नाकों के घोटाले भी शामिल थे.लोकायुक्त संगठन ने उनके खिलाफ 16 में से सिर्फ 7 आरोपों में जांच शुरु की.उसके बाद भी दो आरोपों को समाप्त करके पांच आरोपों की पूरक जांच की गई.इसके बाद आखिर में सभी आरोपों को समाप्त कर दिया गया.जबकि मामलों से राज्य शासन को करोड़ों रुपयों की हानि हुई थी.मामला गंभीर भ्रष्टाचार का था. आज श्री त्रिवेदी का इकबाल बुलंद है ऐसे ही मामलों के कारण आज प्रदेश में भ्रष्टाचार आम हो चुका है क्योंकि लोगों को मालूम पड़ चुका है कि वे लोकायुक्त के जाल से छूटने के लिए आसानी से अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं.

इसी प्रकार के.एस.आयल लिमिटेड मुरैना को कर में दी गई छूट का मामला था.इस इकाई को टैक्स में छूट की पात्रता नहीं थी.चंबल संभाग के आयुक्त ने इस मामले में जांच के बाद 16.08.02 को लिखे गए अपने अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 248, के माध्यम से वाणिज्यिक कर विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा नाथ को स्थिति से अवगत कराया था.लेकिन वाणिज्यिक कर आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय कमेटी ने इकाई को टैक्स में छूट दे दी.उस समय तक जो नियम थे उनके मुताबिक किसी इकाई को टैक्स की राहत तभी मिल सकती थी जब वह इकाई 31.12.2001 से पहले अपना उत्पादन प्रारंभ कर दे.इस तारीख तक इकाई के पास अपना बिजली कनेक्शन तक नहीं था.भाप बनाने की सुविधा ही नहीं थी.एस.के.आयल ने वनस्पति तेल बनाने वाली अपनी पुरानी इकाई से बिजली ली और भाप का निर्माण किया लेकिन दस्तावेजों में यह उत्पादन नई इकाई से करना बता दिया.जबकि टैक्स में छूट के लिए इकाई के पास अपने स्वयं के संसाधन होना जरूरी थी. क्योंकि स्वतंत्र इकाई को ही टैक्स में छूट दी जा सकती थी.

देवास की टाटा स्टील लिमिटेड इकाई को भी टैक्स में राहत देने का मामला इतना ही गंभीर है.इस इकाई को भी राज्य स्तरीय समिति ने टैक्स में छूट देकर निर्यात करने वाली इकाई के रूप में घोषित कर दिया था.जबकि जांच में पाया गया कि इस इकाई को टैक्स में छूट लेने की पात्रता ही नहीं थी.शिकायत होने पर राज्य स्तरीय समिति ने टैक्स में छूट का प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया. फर्म ने इस निर्णय के खिलाफ अपील की तो मामला अपीलीय फोरम में पहुंच गया.अपीलीय फोरम ने इस मामले में फर्म के आंकड़ों को शासकीय आंकड़ों से तुलनात्मक अध्ययन करके अनुशंसा देने के लिए उद्योग विभाग के सचिव और वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त की एक समिति बना दी.

वाणिज्यिक कर आयुक्त ने अपीलीय फोरम को यह लिखकर भेजा कि इकाई की लेखा पुस्तिकाओं और अन्य कागजों का सत्यापन विभागीय अधिकारियों के माध्यम से किया जाना संभव नहीं है.उन्होंने इकाई के ही सी.ए. से आंकड़ों का सत्यापन करने को कहा.जबकि विभाग के पास पूरे के पूरे आंकड़े उपलब्ध थे. बल्कि इस कार्य के लिए विभाग स्वयं सक्षम भी था. इससे जुड़े आंकड़े न तो विभागीय अधिकारियों से मांगे गए और न ही विभागीय अधिकारियों ने कभी इन आंकड़ों को देने से मना किया.इस प्रकार इकाई के चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट पर ही अपीलीय फोरम से इकाई के पक्ष में निर्णय करवाकर उसे लाभ दिलवाया गया. इस प्रकार क्रमांक एक और दो की इकाईयों को नियमों के विपरीत करोड़ों रुपयों की टैक्स छूट दिलाई गई.

शाजापुर की कृष्णा आईल एक्सट्रेक्शन को दी गई टैक्स की छूट भी इसी प्रकार है.इस इकाई को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के नाम पर टैक्स में छूट की पात्रता दी गई.सहायक आयुक्त जयदेव शर्मा ने अपनी जांच में पाया कि जिस इकाई ने टैक्स में एक करोड़ रुपए की टैक्स छूट ली है वह उसकी पात्र ही नहीं है.स्वयं वाणिज्यिक कर आयुक्त ने भी इसकी पुष्टि की.इसके बाद कंपनी के मालिक आयुक्त से मिले और प्रकरण को उनके पक्ष में निपटाने की कार्रवाई शुरु हो गई.अंत में अधीनस्थों पर दबाव डालकर लगभग एक करोड़ रुपए के रिफंड की अनुमति दे दी गई.आयुक्त ने यह निर्णय अतिरिक्त आयुक्त की निगरानी में प्रस्तुत कर कराया.जिस मामले में आयुक्त के हस्तक्षेप से रिफंड बन गया उसी मामले में अपर आयुक्त से निगरानी करवाकर अनुमति जारी कर दी गई. जहिर है यह काम बगैर आयुक्त की सहमति के बगैर पूरा नहीं हो सकता.

इंदौर की स्टील ट्यूब्स आफ इंडिया पर वाणिज्यिक कर विभाग की करोड़ों की रकम बकाया थी.माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया था कि जब तक इकाई बकाया राशि में से 50 लाख रुपए जमा नहीं करे तब तक इकाई के रिवीजन प्रकरण पर फैसला नहीं दिया जाए.इकाई ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई वह भी अमान्य हो गई.इतना होने के बावजूद वाणिज्यिक कर विभाग ने उसे यह राशि किस्तों में जमा करने की सहमति दी और पांच सालों की किस्तें बना दीं.यह निर्णय उन्होंने अपर आयुक्त के सामने इकाई की निगरानी प्रस्तुत कराकर कराया.बाद में अपनी चमड़ी बचाने के लिए राज्य शासन को पत्र लिखकर अपर आयुक्त की जांच प्रस्तावित कर दी.जांच में कोई परिणाम न निकलना था सो नहीं निकला.इस तरह मामले की लीपा पोती की गई.वह भी उस स्थिति में जबकि हाईकोर्ट का निर्णय विभाग के पक्ष में था.डिप्टी कमिश्नर ने अपने आकलन से किस्त 50 लाख रुपए की बनाई थी लेकिन आयुक्त ने इसके कम कराकर 12.5 लाख रुपए वार्षिक करवा दी.

बताया जाता है कि इंदौर की सांघी आटो मोबाईल फर्म में स्वयं विश्वपति त्रिवेदी ने अपना पैसा लगाया था.जबकि इस फर्म के ऊपर बड़ी मात्रा में कर अपवंचन का मामला लंबित था.विभाग ने इस फर्म पर छापा मारा इस दौरान जो कागजात मिले उनसे दोनों आरोपों की पुष्टि भी हुई.श्री त्रिवेदी ने सहायक आयुक्त आशीष श्रीवास्तव पर दबाव बनाया कि वह यह रिपोर्ट दे कि फर्म की स्क्रूटनिंग फाईल गायब है,उसने ऐसा ही किया.फाईल गायब होने पर कार्रवाई करने के बजाय आयुक्त ने स्वयं ही उन्हें अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से डुप्लीकेट स्क्रूटनिंग फाईल बनाने के निर्देश दिए.साथ में यह भी कहा कि डुप्लीकेट फाईल डीलर के सहयोग से ही बनाई जाए.बाद में डुप्लीकेट फाईल से सभी महत्वपूर्ण कागजात हटा दिए गए और मामले को उच्च न्यायालय भेजकर प्रकरण को इकाई के पक्ष में करवाने में मदद की.

चैक पोस्ट पर फार्म 75 की कंप्यूटर एंट्री के लिए प्राईवेट फर्म सैडमेप को ठेका देने में भी श्री त्रिवेदी ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया.फर्म को इस काम के लिए 1.65 रुपए प्रति फार्म की एंट्री की दर से ठेका दिया गया.जबकि अन्य फर्में 1 रुएए से भी कम दामों पर यह काम करने के लिए सहमत थीं.इस फर्म ने फार्मों की इंट्री में भारी गलतियां की जिससे कई सर्किल आफिसों को यह काम दुबारा कर्मचारियों के माध्यम से कराना पड़ा.इस फर्म के फार्म भरने की गति भी बहुत कम थी लेकिन श्री त्रिवेदी के निर्देश पर फर्म को नियमित भुगतान किया जाता रहा.

इंदौर की ही फर्म शिव सुपारी स्टोर फर्जी फार्म 75 पर माल पास करवाती थी.यह फर्म कर अपवंचन की भी दोषी थी.इसका माल दीनारा चैक पोस्ट से जाता था.जहां चैक पोस्ट अथारिटी ने गड़बड़ी पकड़ी और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ भी प्रकरण बनवाया.श्री त्रिवेदी ने टेलीफोन पर निर्देश देकर ट्रक को छुड़वा दिया.पिटोल और सेंधवा चैक पोस्ट पर ऐसे अनेकों वाहनों को श्री त्रिवेदी ने छुड़वाया और शासन को क्षति पहुंचाकर भारी भ्रष्टाचार किया.इन गंभीर भ्रष्टाचारों के आरोपों पर श्री त्रिवेदी को दंडित करने के बजाए भ्रष्टाचार के इस मामले को लोकायुक्त ने विधिक अधिकारी की अनुशंसा पर समाप्त कर दिया गया.यह कार्रवाई भी पूर्व की तरह विधि अधिकारी विरेन्दर सिंह की अनुशंसा पर इकाई के पक्ष में राय लेकर समाप्त कर दिया गया. एक स्थान पर स्वयं विधि अधिकारी ने टीप पर लिखा है कि विभाग से जो नस्तियां मांगी गईं वे नहीं दी गईं.जो नस्तियां दी गईं वे शिकायत के बिंदु से संबंधित नहीं थीं.आश्चर्य है ऐसा होते हुए भी सभी 16 गंभीर आरोपों में आरोपी के बयान तक नहीं लिए गए और मामला समाप्त कर दिया गया.

इसी प्रकार के मामलों में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री व्ही के अमर,लोक निर्माण विभाग के ही सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता श्री पी के तिवारी,और जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता के भ्रष्टाचारों के मामलों को भी निपटा दिया गया.

मामलों में भ्रष्टाचार तो किया ही गया साथ में स्वयं लोकायुक्त ने अधिकारियों से अनुचित लाभ भी लिया. ऊर्जा सचिव संजय बंदोपाध्याय जब विद्युत मंडल में पदस्थ थे तब लोकायुक्त ने अपने पुत्र आशीष कुमार को मध्यप्रदेश विद्युत मंडल में एड्व्होकेट आन रिकार्ड बनवाया था.मंडल की ओर से उनके पुत्र को सौ से अधिक प्रकरण सौंपे जा चुके हैं.मंडल की ओर से उन्हें लाखों रुपयों का भुगतान भी किया जा चुका है.सबसे बड़ी बात तो यह कि जिन मामलों में आशीष कुमार को एड्व्होकेट आन रिकार्ड बनाया गया उन मामलों में कई वरिष्ठ अधिवक्ता पहले से पैरवी कर रहे थे.लेकिन आशीष कुमार के माध्यम से लोकायुक्त महोदय को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें अतिरिक्त अधिवक्ता नियुक्त किया गया.जबकि एक ही मामले में एक से अधिक अधिवक्ताओं की नियुक्ति से पहले मंडल में ऐसे उदाहरण नहीं हैं.

यह भी उल्लेखनीय है कि हर संस्थान से मामलों की फीस अलग अलग तय कराई जाती है.कहीं पर पांच हजार प्रति प्रकरण, कहीं पर साढ़े सात हजार रुपए.विद्युत मंडल के प्रत्येक प्रकरण से यह फीस कहीं अधिक बनती है.यहां ट्रेप्स केसेस, नान अफेक्टिव हियरिंग, ड्राफ्टिंग, कांफ्रेंस, क्लर्केज, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ओपिनियन की दर अलग अलग निर्धारित है.यदि सभी को जोड़ दिया जाए तो यह खर्च प्रति प्रकरण 15 हजार से 25 हजार आता है.नगर निगम भोपाल से प्रति प्रकरण 25 हजार रुपए की फीस वसूली गई.नगर निगम भोपाल की कई शिकायतें लोगों ने लोकायुक्त को कीं थीं इन्हीं शिकायतों की जांच के दौरान रिपुसूदन जी के पुत्र आशीष कुमार को एड्व्होकेट बनवा दिया गया.ऐसा ही लाभार्जन मध्यप्रदेश शासन के कई विभागों और निगमों से किया गया.

एक समाचार पत्र में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ कि आशीष कुमार के पास वर्ष 2000 में एक प्रकरण और वर्ष 2003 में मात्र छह प्रकरण थे जो बढ़ते बढ़ते आज सैकड़ों हो गए हैं.जिन भी निगम ,मंडलों और कार्यालयों के प्रकरण लोकायुक्त महोदय के पास आते हैं उनसे अपने पुत्र को न्यायालयीन प्रकरण सौंपे जाने के लिए कहा जाता है.नगर निगम ग्वालियर ने भी आशीष कुमार को अपने अनेक प्रकरण दिए हैं.

लोकायुक्त महोदय के ये सभी प्रकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं.इसलिए इन सभी प्रकरणों में सभी संबंधितों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई कराई जाए. भवदीय

(प्रहलाद सिंह पटेल),ए-23,सैनिक सोसायटी, गुप्तेश्वर, जबलपुर,फोन-0761-2426670

काली कमाई नहीं सफेद रिश्वत का फार्मूला

दयाल के बेटों को पैरवी की फीस देकर छूटते रहे भ्रष्ट अफसर

लोकायुक्त जस्टिस रिपुसूदन दयाल ने रिश्वत लेने का जो अजब तरीका निकाला उससे उन्होंने भरपूर काली दौलत कमाई वह भी बाकायदा चैक से.उनके खातों में कई लोगों के चैकों की आवक साफ देखी जा सकती है.जबसे उन्होंने मध्यप्रदेश में लोकायुक्त बनने का होमवर्क शुरु किया तभी से उन्होंने यहां अपना जाल बिछाना शुरु कर दिया था.तत्कालीन विधि सचिव चंद्रेश भूषण की मदद से उन्होने अपने बेटों को सरकारी वकीलों के पैनल में पंजीकृत करवा लिया.इसके एवज में चंद्रेश भूषण जब रिटायर हुए तो उन्हें उप लोकायुक्त बना दिया गया.तब तक यानि कम से कम दो सालों तक यह पद खाली पड़ा रहा.इसके बाद लोकायुक्त महोदय ने जिन अफसरों की शिकायतों को दर्ज किया उन अफसरों से रिश्वत के रूप में अपने बेटों के लिए सरकारी मुकदमे भी कबाड़े और भरपूर धनराशि भी वसूली. इस राशि को जमा करने के लिए कई शहरों में अलग अलग नामों से कई खाते भी खोले और कई शहरों में प्रापर्टी भी खरीदी.आज वे अपने बचाव के लिए कई किस्म के तर्क दे रहे हैं.जबलपुर में दैनिक नई दुनिया के पत्रकार रवीन्द्र दुबे ने 27 मार्च 2008 को एक खबर छापी थी जिसमें लोकायुक्त के प्रकरणों और एओआर में अजब संयोग उजागर किया गया था.ऐसे उपकृत हो रहा है भ्रष्टाचार नामक शीर्षक से छापी गई खबर हम जस की तस आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं. जिससे आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह श्री दयाल के बेटों को अपने विभागों के मुकदमे देकर लोगों ने लोकायुक्त महाशय को पद की गरिमा के अनुरूप सफेद रिश्वत दिलाई.

आंखों में भ्रम का परदा डालना हो तो तरीके निकल ही आते हैं.हां ,कोई साधारण वकील अचानक ही कई शासकीय विभागों का एड्व्होकेट आन रिकार्ड बन जाए तो कहीं न कहीं उपकृत किए जाने की आशंका को बल मिलता ही है.

एक अजीब सा संबंध है वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त में मामले दर्ज होने और कुछ दिनों बाद अधिवक्ता आशीष कुमार को उन्हीं विभागों में एड्व्होकेट आन रिकार्ड बना दिए जाने का.फिलहाल अधिवक्ता आशीष कुमार पर प्रदेश के की आईएएस अफसर कुछ ज्यादा ही प्रसन्न दिख रहे हैं.नतीजे में उनके पास केसों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है.एड्व्होकेट आशीष कुमार ने सन 1991 से सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरु की और 2003 तक एक साधारण वकील के रूप में काम करते रहे.सुप्रीम कोर्ट की वेवसाईट में आशीष कुमार के पास सन 2000 में मात्र एक केस था.प्रकरणों की संख्या दहाई तक पहुंचने में तीन वर्ष लग गए.सन 2003 के बाद अचानक ही उनकी पूछ परख होने लगी.और उनके पास मामलों की कतार लग गई.विशेष यह कि अधिकांश प्रकरण सरकारी विभागों के थे.सर्वाधिक प्रकरण मप्र राज्य विद्युत बोर्ड और मप्र हाऊसिंग बोर्ड के हैं.एड्व्होकेट श्री कुमार को सन 2005 में मप्र विद्युत बोर्ड के एड्व्होकेट आन रिकार्ड पैनल में शामिल किया गया.उनकी नियुक्ति पत्र क्रमांक 01-02 / 2693 / 1414 दिनांक 4 अक्टूबर 05 को अतिरिक्त सचिव (पी)-2 के हस्ताक्षर से की गई.जिसकी जानकारी विद्युत बोर्ड के 17 विभागों को भी प्रेषित की गई.इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड के प्रकरणों की संख्या भी अचानक बढ़ी है.

सूत्र बताते हैं कि इस सब में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की विशेष भूमिका है. जिन अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त में मामले चल रहे हैं उन्हीं की पूर्व या वर्तमान पदस्थापनाओं के विभागों के प्रकरण आशीष कुमार के पास हैं.उदाहरण के लिए मप्र राज्य विद्युत मंडल,मप्र औद्योगिक विकास निगम, मप्र वित्त निगम, मप्र हाऊसिंग बोर्ड के साथ ग्वालियर नगर निगम के अनेक प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं.पैरवी कर रहे हैं आशीष कुमार. छत्तीसगढ़ विद्युत बोर्ड के 22 प्रकरण भी आशीष कुमार के पास हैं.

कुछ और मामले- आईएएस संजय बंदोपाध्याय के सन 1999 में कटनी के अपर कलेक्टर रहते पाकिस्तान से आए सिंधी विस्थापितों को शासकीय भूमि आबंटन में अनियमितता होने की शिकायत लोकायुक्त से हुई थी.जिसे जांच कर लोकायुक्त संगठन ने बंद कर दिया था.जांच में कहा गया था कि श्री बंदोपाध्याय के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं.लेकिन 2003 में यह प्रकरण पुन: विशेष अनुमति से खोला गया और 2004 में पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण पुन: बंद कर दिया गया.2005 में आशीष कुमार को विद्युत मंडल का एड्वोकेट आन रिकार्ड बना दिया गया.श्री बंदोपाध्याय उस वक्त तक ऊर्जा सचिव बन चुके थे.कुछ ऐसा ही आईएएस राघवचंद्रा के प्रकरण में हुआ.मप्र औद्योगिक विकास निगम ,हाऊसिंग बोर्ड, व मप्र वित्त निगम के बड़े घोटाले की जांच चल रही थी जिसमें आईएएस राघव चंद्रा पर प्रकरण विचाराधीन था.

साल दर साल बढ़े मामले

सन 2003 में आशीष कुमार के पास मात्र छह प्रकरण थे.जिसमें तीन प्रकरण मप्र से संबंधित थे.इसी प्रकार 2004 में उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए प्रकरणों में 14 प्रकरण मप्र और एक छत्तीसगढ़ राज्य का था.एक प्रकरण निजी पार्टी से संबंधित था.2005 में प्रकरणों की संख्या बढ़कर 37 हो गई.जिसमें 7 प्रकरण मप्र से संबंधित थे.इस वर्ष उन्हें पंजाब के प्रकरणों में ज्यादा पैरवी करने का अवसर मिला.लेकिन 2006 में उनके पास पहुंचे 41 प्रकरणों में मप्र विद्युत बोर्ड,छत्तीसगढ़ विद्युत बोर्ड, और मप्र हाऊसिंग बोर्ड के 40 प्रकरण थे.2007 में यह संख्या 68 पर पहुंच गई.जिसमें 65 प्रकरण मप्र के विभागों से संबंधित थे.इस बार वे ग्वालियर नगर निगम के प्रकरण में भी शामिल हुए.इस साल मात्र दो महीनों में उनके पास 7 प्रकरण पहुंचे हैं.

मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार की पनाहगाह ही साबित हुआ लोकायुक्त संगठन

जस्टिस फैजानुद्दीन जैसे सख्त मिजाज लोकायुक्त की विरासत सड़कों पर घसीटी जाएगी ऐसा कभी किसी ने न सोचा था. उन्होंने मध्यप्रदेश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट दिग्विजय सिंह सरकार को तथ्यों के आधार पर कटघरे में ला खड़ा किया था. तब जनता ने उनकी बात को सही माना और दिग्विजय सिंह सरकार का पतन सुनिश्चित हुआ.वर्तमान लोकायुक्त भी यही कुछ करने की सुपारी लेकर आए थे,लेकिन उनके पांसे ठीक उलटे पड़ते नजर आ रहे हैं. गांधी जी कहा करते थे कि पवित्र साध्य के लिए साधन भी पवित्र ही होना चाहिए.ऐसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने वालों को भी भ्रष्टाचार से परहेज करना जरूरी है.जबकि मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले सबसे प्रमुख संगठन लोकायुक्त के मुखिया आज स्वयं भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए हैं. उनके बचाव में आज न तो जनता है और न ही अफसर,उनका बचाव सरकार को करना पड़ रहा है.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए.शायद इसीलिए उनकी पुलिस ने अदालत के आदेश को दरकिनार करते हुए लोकायुक्त महोदय को अपनी जांच में क्लीनचिट दिलवा दी.

आजाद हिंदुस्तान में न्याय करने का हक केवल अदालतों के पास है. लोकायुक्त संगठन यह अधिकार अदालतों से छीनना चाहता है.इसका कारण सिर्फ इतना है कि उसके मुखिया के पद पर किसी रिटायर जज की नियुक्ति की जाती है.ये माना जाता है कि कोई भी सम्माननीय न्यायाधीश जिसने लंबा कार्यकाल न्यायिक सेवाओं में गुजारा हो जीवन की सांझ में और भी अधिक न्याय का पक्षधर बनकर उभरेगा.इसके विपरीत मध्यप्रदेश का लोकायुक्त संगठन अंग्रेजों की पुलिस और उसके क्रूर जनरलों से अधिक भ्रष्ट ,शोषक और अत्याचारी बनकर उभरा है.इस संगठन ने अपना वजूद बनाए रखने के लिए प्रदेश के आम लोगों पर झूठे मुकदमे लादने की मुहिम चला रखी है. इसकी जड़ इसके मुखिया में ही छिपी है.जब संगठन से जुड़े लोगों ने इसके मुखिया को ही लूट मचाते देखा तो उन्होंने शोषण और अत्याचार का कोहराम मचा दिया है.आज प्रदेश के सैकड़ों कर्मचारी और अफसर ,नेता झूठे प्रकरणों में उलझे हैं और वे लोकायुक्त संगठन के कहर से खुद को बचाने ने लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं.

यह सब वर्तमान लोकायुक्त जस्टिस रिपुसूदन दयाल के कार्यकाल में ही हुआ है .आज भ्रष्टाचार के पैमाने पर मध्यप्रदेश सबसे अव्वल माना जा रहा है. ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया और सेंटर फार मीडिया स्टडीज ने पिछले साल जो अध्ययन किया उसमें उन्होंने पाया कि प्रदेश के लोगों को अपनी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए सबसे अधिक घूस देनी पड़ती है.यह सब इसी लोकायुक्त की नाक तले हो रहा है. बल्कि कहा जाए कि यह सब लोकायुक्त महोदय की शह पर हो रहा है तो कोई अतिश्योक्ति न होगी. वे आज प्रदेश की राजनीति के नीति नियंता बनने में जुटे हैं.वे इस मनहूस षड्यंत्र में कामयाब भी हो गए होते यदि उनकी काली करतूतों का भांडा ठीक वक्त पर फूटा न होता.अपनी कारगुजारियां उजागर हो जाने से वे इतने बौखला गए हैं कि उन्होंने लोकायुक्त संगठन की ओर से अपने खिलाफ शिकायत करने वालों के खिलाफ ही झूठी शिकायत करने का मुकदमा लाद दिया.उनकी पुलिस ने इस संबंध में जो रिपोर्ट बनाई है वह लोकायुक्त संगठन की कार्यप्रणाली को समझने के लिए सबसे मुफीद उदाहरण बन गई है.

राजधानी के एक पत्रकार आलोक सिंघई और एक वकील नरेन्द्र भावसार ने लोकायुक्त के भ्रष्टाचारों के खिलाफ आवाज उठाई है. उन्होंने 28 मई 2008 को जब लोकायुक्त संगठन के महानिदेशक को जब इस मामले की शिकायत की तो उन्हें भरोसा था कि भ्रष्टाचारियों की धरपकड़ करने वाला यह संगठन अपनी भूमिका ठीक तरह से निभाएगा. उन्होंने माननीय जस्टिस रिपुसूदन दयाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था.इस संबंध में उन्होंने पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराए थे.लेकिन संगठन की विशेष स्थापना पुलिस ने वही किया जो वह कमोबेश हर प्रकरण में करती आई है.यहां के अधिकारी रिश्वत खोर अफसरों को माफी देने और रिश्वत न देने वालों को सजा दिलाने की कला में इतने पारंगत हो चुके हैं कि उन्होंने आव देखा न ताव अपने लोकायुक्त को क्लीनचिट दे डाली. आज भी वे इतने निश्चिंत हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे किस जंजाल में फंस गए हैं.इस मामले पर पूरे देश की नजर है और यह मामला लोकायुक्त संगठन की कारगुजारियों का पर्दाफाश करने वाला झरोखा बन गया है.

इस शिकायत की जांच करने के नाम पर स्वयं रिपुसूदन दयाल जी ने विवादित मप्र हाऊसिंग बोर्ड और पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अधिकारियों को बयान देने के नाम पर अपने दफ्तर बुलाया और सारे दस्तावेजों को दुबारा सिलसिलेवार बनवाया. अधिकारियों की राय पर ही लोकायुक्त पुलिस ने जांच रिपोर्ट बनाई जिसमें कहा गया कि प्रकरण में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है.दस्तावेजों में खुद को पाक साफ दिखा लेने के बाद श्री दयाल गरजने लगे.उन्होंने शिकायत कर्ताओं के खिलाफ झूठी शिकायत करने का परिवाद अदालत में प्रस्तुत कर डाला.जिस दिन 26 जून को इस मामले की सुनवाई स्थानीय अदालत में थी उसके ठीक एक दिन पहले वे स्थानीय समाचार चैनल पर तयशुदा इंटरव्यू देकर अदालत को निर्देश देते नजर आए कि शिकायत झूठी पाई गई है और इसीलिए शिकायत करने वालो को जेल की सजा सुनाई जानी चाहिए.ऐसा करते समय वे भूल गए कि वे अब जज नहीं हैं और उनके संगठन ने ही अदालत में याचिका लगाई है.जब आप अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हों तो फिर आपको सड़कों पर फैसले सुनाते घूमने की जरूरत क्यों पड़ रही है.जाहिर है कि उनके संगठन ने जो साढ़े तीन सौ पेजों का झूठ का पुलिंदा अदालत में प्रस्तुत किया है उस पर उन्हें ही भरोसा नहीं है.इसीलिए वे अदालत पर दबाव बनाने की नियत से खोखली बयानबाजी करते फिर रहे हैं.

समस्या तो ये है कि आज के सतर्क मीडिया के बीच जनता झूठ को और भी जल्दी पकड़ लेती है.जनता के बीच चल रही भावनाओं को पढ़कर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.न्यायपालिका खुश नहीं है .पत्रकार जगत चौकन्ना है और कार्यपालिका खुश है उसे उम्मीद है कि अत्याचारों का अंत होगा.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखे जाने की बात कहकर मामले को शांत करने की कोशिश की.वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनशक्ति की अध्यक्ष उमा भारती तो दलबल समेत मैदान में उतर आईं.उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन देकर कहा कि प्रदेश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है.लोकायुक्त संगठन मुख्यमंत्री की जांच कर रहे हैं और उनकी पुलिस लोकायुक्त की जांच कर रही है जो किसी भी तरह संभव नहीं है.साध्वी उमा भारती ने अपने समर्थकों के साथ जाकर श्री दयाल को फोकट में दी गई लगभग तीन हजार वर्गफुट जमीन पर अपनी पार्टी का झंडा फहरा दिया.

जब स्थानीय कोहेफिजा पुलिस थाने ने लोकायुक्त संगठन की रिपोर्ट को सही मानकर अदालत की ओर से निर्देशित धारा 156(3) का मुकदमा दर्ज करने के बजाय यह रिपोर्ट दे दी कि इस प्रकरण में कोई मामला नहीं बनता तो भूचाल आ गया.भारतीय जनशक्ति पार्टी के प्रांताध्यक्ष अशोक त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ पुलिस थाने पहुंचे और

(शेष पेज सात पर पढ़िए)

रिपुसूदन दयाल के भ्रष्टाचार की एक और कहानी ईओडब्ल्यू पहुंची

भोपाल । मध्यप्रदेश के माननीय लोकायुक्त पद पर विराजित रिटायर जज रिपुसूदन दयाल के भ्रष्टाचार की एक और कहानी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के पास पहुंची है. अपनी निजी यात्रा को शासकीय बताकर किस तरह उन्होंने पद का दुरुपयोग किया और सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाई इसके दस्तावेजी साक्ष्य ब्यूरो के सामने प्रस्तुत किए गए हैं.

लोकायुक्त बनकर खुद को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर बताने वाले रिपुसूदन दयाल के खिलाफ यह शिकायत उन्हीं नागरिकों ने की है जिन पर श्री दयाल के अधीनस्थ विशेष पुलिस स्थापना संगठन ने झूठी शिकायत करने का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है. श्री दयाल के भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रकार आलोक सिंघई और एड्व्होकेट नरेन्द्र भावसार ने अपनी इस ताजा सूचना में वे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिनमें सरकारी खजाने को क्षति पहुंचाने के प्रमाण साफ नजर आ रहे हैं.ब्यूरो के महानिदेशक से इस मामले की जांच कराकर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है.

न्यायपालिका का हौवा दिखाकर अपनी पोल खोलने में जुटे लोगों को खामोश करने की कोशिश करने वाले श्री दयाल ने 10 जून 2006 से 12 जून 2006 तक तीन दिनों की पचमढ़ी यात्रा की थी.अपनी पारिवारिक निजी यात्रा में उन्हें राज्य शासन की ओर से तीन कमरे उपलब्ध कराए गए थे.इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव डी.पी.आहूजा ने 09 जून को बाकायदा होशंगाबाद कलेक्टर को पत्र लिखकर पचमढ़ी के रविशंकर सर्किट हाऊस में कक्ष क्रमांक 1, 2 और 3 को तीन दिनों के लिए आबंटित करने की अनुमति देने के निर्देश दिए थे.इस पत्र की प्रतिलिपि सचिव लोकायुक्त कार्यालय भोपाल और कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग पचमढ़ी को भी जारी की गई थीं.लेकिन इस पत्र में श्री दयाल के प्रवास को भुगतान मुक्त(नि:शुल्क) नहीं किया गया था.

इस यात्रा पर श्री दयाल सपरिवार पहुंचे और अपने साथ विशेष पुलिस स्थापना के निरीक्षक श्री विजय सिंह ठाकुर और अन्य को भी ले गए थे. उनके साथ गए इंस्पेक्टर और साथियों का दो दिनों का किराया 1240 रुपए सर्किट हाऊस में 12.06.2006 को प्राप्त कर लिया गया था.इसकी रसीद बुक क्रमांक-8 और रसीद क्रमांक-07 भी काट दी गई थी.उन्होंने खुद की यात्रा को शासकीय बताकर सूट क्रमांक 1,2 और 3 का किराया अदा नहीं किया.इसी के मुताबिक उन्होंने सरकारी पंजी में अपनी आमद भी शासकीय यात्रा के रूप में इंद्राज की.

भोपाल वापस लौटने के बाद श्री दयाल ने सर्किट हाऊस के कर्मचारियों और पदस्थ इंजीनियरों को अपने दफ्तर बुलाया और उन्हें बेइज्जत करते हुए प्रताड़ित किया.उनसे सर्किट हाऊस की पंजी बुलवाई गई और 12.6.06 को काटी गई रसीद रद्द करने को मजबूर किया गया.चार दिनों बाद इस रसीद 16.06.2006 को काटकर रद्द करने के लिए अधिकारियों को भारी प्रताड़ना दी गई. यह भादवि में आपराधिक कृत्य माना गया है.

सूचनाकर्ताओं का कहना है कि श्री दयाल का यह कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है.इसलिए श्री दयाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए.

भ्रष्टाचार की पनाहगाह साबित हुआ लोकायुक्त संगठन

(शेष पेज छह का शेष भाग)

उन्होंने पुलिस की शर्मनाक हरकत पर थाने का घेराव कर डाला.उन्होंने कहा कि यदि पुलिस इस तरह की शर्मनाक कार्रवाई करेगी तो भविष्य में कोई भी नागरिक भ्रष्टाचार या अनाचार की शिकायत क्यों करेगा.यह एक तरह से जनता को आतंकित करने की कार्रवाई है.इसके पहले पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को शिकायत देकर लोकायुक्त संगठन की ओर से बंद किए गए मामलों की छानबीन कराने की मांग की थी.

सबसे बड़ी बात तो यह कि सरकार इन तमाम तथ्यात्मक शिकायतों पर जांच कराने से बच रही है.उसके चौदह से अधिक मंत्री लोकायुक्त की जांच के दायरे में हैं.जरा सी शिकायत पाते ही संगठन ने इन मंत्रियों के खिलाफ जांच शुरु कर दी.स्वयं मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को डंपर मामले में क्लीनचिट नहीं मिली है.ऐसे में सरकार और उसके मंत्री लोकायुक्त के बारे में कुछ टिप्पणी कैसे कर सकते हैं.जिन्होंने लोकायुक्त के खिलाफ की गई शिकायत के दस्तावेज देखे हैं वे पहली ही नजर में जान जाते हैं कि प्रकरण कितना साफ है.लेकिन यदि सरकार पहल करके अपनी पुलिस को अदालत के निर्देश के अनुसार प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दे भी देती तो उसे विपक्ष की घनघोर आलोचना का सामना करना पड़ता.कांग्रेस के हमलावर नेता यह कहने में न चूकते कि अपने मंत्रिमंडल पर लगे आरोपों के कारण सरकार ने लोकायुक्त को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया है.इसलिए सरकार ने श्री दयाल के वध के कलंक से खुद को बचा लिया है.सरकार की इतनी दयानतदारी के बावजूद उस पर आरोप तो लग ही रहे हैं.मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के.के.मिश्रा ने तो शिकायत पर फैसला सामने आने से पहले ही आरोप लगा डाला कि ये शिकायत लोकायुक्त की प्रतिष्ठा घटाने का प्रयास है. जबकि इसी मामले में सत्ताधारी दल के नेता अदालत के फैसलों की प्रतीक्षा में बैठे हैं.वे यह नहीं कह रहे कि श्री दयाल ने मध्यप्रदेश के लोकायुक्त पद की गरिमा गिराने का काम किया है.कांग्रेसियों का मानना है कि श्री दयाल ने कभी देश की प्रतिभाशाली पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने एक फैसले में क्लीनचिट दी थी इसलिए वे पार्टी के पक्षधर हैं.संगठन में बड़े पदों पर बैठे कुछ नेता ये भी मानते हैं कि मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ने का दुष्प्रचार करने की जवाबदारी पार्टी ने श्री दयाल को सौंपी है.शायद इसीलिए नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुनादेवी जो पहले कभी लोकायुक्त की आलोचना करती फिरती थीं बाद में वे श्री दयाल की तारीफों के पुल बांधती नजर आने लगीं.

राजनीतिक बयानबाजी के अपने अपने कारण हैं.लेकिन भोपाल की अदालत में जो मुकदमा श्री दयाल के विरुद्ध चल रहा है वह कुम्हड़े की बेल नहीं है जो किसी के अंगुली दिखाने से मुरझा जाएगी.यह शिकायत दस्तावेजी प्रमाणों पर आधारित है और मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के प्रयास को बल देने के लिए की गई है इसलिए इसके फैसले का सभी को इंतजार करना होगा.हमारे यही प्रयास प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में कारगर साबित भी होंगे.(पीआईसी).

भ्रष्टाचारियों को क्यों मिलेगा संवैधानिक कवच

(पेज तीन का शेष भाग)

से सुविधा लेने के अधिकारी नहीं हैं. उन्होंने धोखाधड़ी करके सरकारी खजाने को स्टांप ड्यूटी की क्षति पहुंचाई है जो कि आर्थिक अपराध है.मकान खरीदना लोकायुक्त की ड्यूटी नहीं है ये पूर्णतया व्यक्तिगत मामला है इसलिए किसी पर भी अवमानना का प्रकरण नहीं चलाया जा सकता.इसके बावजूद यथावत श्री दयाल ने अपनी पदीय हैसियत का दुरुपयोग कर अदालत की अवमानना के कानून को हथियार की तरह उपयोग लोगों को डराने के लिए किया है.वे प्रिंटमीडिया के माध्यम से अनर्गल आरोप लगा रहे हैं अन्य राजनीतिक दलों की शह पर काम कर रहे हैं.इस संदर्भ में आऊटलुक का दिनांक 17-23जून 2008 का अंक अवलोकनीय है जिसमें लोकायुक्त ने अपने पद की गरिमा की परवाह न करते हुए विरोधाभासी और विवादास्पद बयान दिए हैं.जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के समाप्त करने वाले पद पर आसीन है उसे इस तरह के अनर्गल आरोप अपने पद की गरिमा को ध्यान रखते हुए नहीं लगाना चाहिए.श्री दयाल के लिए यही उचित है कि वे न्यायालय में स्वयं को निर्दोष साबित करें.

हमारी याचिका न्यायालय के सामने लंबित है इस दौरान श्री दयाल मीडिया में अनर्गल आरोप लग जा रहे हैं यह उनकी दुर्भावना सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है.वह न्यायपालिका को प्रभावित करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं.एक नेता के बयान के माध्यम से तो उन्होंने न्यायालय को ही चुनौती दे डाली है.सामान्यतया प्रशासन में यह प्रक्रिया है कि जब कोई शासकीय या लोक सेवक चाहे छोटे या बड़े पद पर हो और यदि किसी जांच या आपराधिक प्रकरण में संलिप्त पाया जाता है तो उसे या तो निलंबित किया जाता है या फिर उसका स्थानांतरण किया जाता है या फिर उसे लंबी छुट्टी पर भेजा जाता है ताकि वह साक्ष्यों के साथ छेड़ छाड़ न कर सके. न ही जांच को प्रभावित कर सके.

चूंकि श्री दयाल लोकायुक्त जैसे उच्च एवं प्रभावशाली पद पर आसीन हैं कोहेफिजा पुलिस थाना जो कि दुर्भाग्य से लोकायुक्त दफ्तर के ठीक सामने है निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है.श्री दयाल न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं .दिनांक 21.06.2008 के दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर में कथन है कि (श्री आलोक सिंघई ने जो शिकायत प्रस्तुत की है वह झूठी पाई गई है इसलिए कोहेफिजा पुलिस शायद ही इस प्रकरण में कोई कार्रवाई करे).यह कथन साफ तौर पर बताता है कि न्यायप्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.इसलिए नैसर्गिक न्याय के सिद्दांत के अनुसार श्री दयाल को या तो पद से हटाया जाए या न्यायालय में प्रकरण के निराकरण होने तक उन्हें छुट्टी पर भेजा जाए. उनके पद पर रहते पुलिस की निष्पक्ष और निर्भीक जांच संभव नहीं होगी.

अखबारों में जो बयान दिए जा रहे हैं वे हकीकत से परे हैं. विपक्ष के भी कुछ राजनेता श्री दयाल के पक्ष में बयान दे रहे हैं इस कारण कोई भी शासकीय एजेंसी दयाल के विरुद्ध निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती .ऐसे में जाहिर है कि सीबीआई से जांच कराना ही इस मामले में एकमात्र उपाय है.

कानूनी उपायो का प्रयोग न करते हुए श्री दयाल अवैधानिक तरीके अपना रहे हैं इससे लोकायुक्त पद की छवि धूमिल हो रही है.हमें उम्मीद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ही एकमात्र सक्षम और सवैधानिक प्रमुख होने के कारण प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं .आपसे निवेदन है कि आप श्रीदयाल को प्रकरण के लंबित रहने के दौरान लोकायुक्त के पद पर कार्य करने से रोकें या उन्हे लंबी छुट्टी पर भेजने के लिए निर्देशित करें.नैतिकता का तकाजा तो इस्तीफा है ,पर इसे केवल साफ सुथरा और हिम्मत वाला व्यक्ति ही अंजाम दे सकता है.श्री दयाल इसके अपवाद हैं.इस कारण न्यायहित में सीबीआई से जांच कराना अत्यंत आवश्यक है.प्रकरण में माननीय राज्यपाल महोदय यदि कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये न्याय का गला घोंटने के समान पीड़ादायक अनुभव होगा.

भवदीय

नरेन्द्र भावसार आलोक सिंघई

(इस पत्र के जवाब में राजभवन की ओर से कोई असरकारी कार्रवाई नहीं हुई.)

भ्रष्टाचार के संहार का महायज्ञ

(पेज दो का शेष भाग)

प्लॉट के बाकायदा मालिक बन गए हैं.जमीन को फ्री होल्ड कर देने के कारण वे सरकारी खजाने का लीज रेंट चुराने में कामयाब हो चुके थे तभी राजधानी के पत्रकारों और वकीलों ने उनके भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ दिया. आज जब उनकी हकीकत उजागर हो चुकी है तो वे अपने कांग्रेसी संबंधों की दुहाई देकर खुद को क्लीनचिट दिलवाने में जुट गए हैं.मध्यप्रदेश के कांग्रेसियों को अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए तैनात किए गए जिस व्यक्ति के भ्रष्टाचार के सबूत सामने हैं वह आखिर कब तक अपनी कुर्सी पर बना रह सकता है.वर्ष 2007 में जैसे ही उसे ये भान हुआ कि उसकी काली करतूतों के दस्तावेज सूचना के अधिकार अधिनियम के सहारे निकलवाए जा रहे हैं तो उसने आनन फानन में सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए मंत्रियों के खिलाफ शिकायतें बुलवानी शुरु कर दीं. आज उसके हवाले से कांग्रेसी भाई चिल्ला रहे हैं कि प्रदेश सरकार के ग्यारह मंत्रियों पर लोकायुक्त में भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज हैं.ये शिकायतें केवल दर्ज की गई हैं जबकि खुद लोकायुक्त महोदय के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें प्रमाणित हो चुकी हैं.सबूतों के साथ जब लोकायुक्त संगठन में 28 मई 2008 को शिकायत की गई तो संगठन ने प्राथमिकी दर्ज न करके साक्ष्य मिटाने का अभियान चला डाला.अपने रसूख के सहारे लोकायुक्त महोदय ने मप्र आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को भी कार्रवाई करने से रोक रखा रखा है.पुलिस की तो हालत और भी खस्ता है.पहले तो पुलिस थाने ने शिकायत का आवेदन लेने से ही मना कर दिया बाद में लिया भी तो जांच करने की जुर्रत तक नहीं की.अदालतें खुद को इस शिकायत की सुनवाई के लिए सक्षम नहीं पा रहीं हैं इसलिए मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है.माननीय अदालतों से दिशा निर्देश के बाद जैसे ही प्राथमिकी दर्ज होगी लोकायुक्त महोदय को भी अपना इस्तीफा सौंपना होगा.अभी वे यह कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार के खिलाफ शिकायतें मंजूर कीं तो सरकार ने उनके खिलाफ ही आरोप लगवाना शुरु कर दिए.लेकिन ये तर्क तथ्यों के आगे दम तोड़ देते हैं.यदि वाकई लोकायुक्त महोदय की मंशा भ्रष्टाचार करके अकूत दौलत जुटाने की नहीं थी तो उन्होंने जानते बूझते मकान के नाम पर सरकारी खजाने में सेंध मारने का काम क्यों किया.आज नहीं तो कल ये सच्चाई उजागर होनी ही थी.दूसरों पर आरोप लगाकर चोरी छुपाने की इजाजत देश में किसी को नहीं है.किसी जज को भी नहीं.इसलिए साथियो आगे बढ़िए लोकायुक्त पद को कलंकित करने का प्रयास करने वाले अन्यायी रिपुसूदन दयाल के खिलाफ सबूत उजागर करने में मदद कीजिए तभी हम भ्रष्टाचार के संहार के इस महायज्ञ में अपनी पूर्णाहुति दे पाएंगे.

न्याय को कुचलने की मदांध सत्ता नहीं देता भारतीय कानून

-नितिन वर्मा-

आपके मोहल्ले में कोई चोर किसी मकान का ताला तोड़ दे और तभी घर के लोग जाग जाएं,इस बीच चोर पकड़ लिया जाए तो उसे केवल इस आधार पर माफी नहीं दी जा सकती कि घर का सामान तो चोरी हुआ नहीं .किसी भी दूसरे व्यक्ति के मकान का ताला तोड़ना ही अपने आप में अपराध है.राजधानी के रिवियेरा टाऊनशिप में मकान नंबर 60 की खरीद में लीज डीड के दस्तावेजों में हेराफेरी का जो मामला इन दिनों चर्चा में है उसमें भी कमोबेश ऐसा ही हुआ है.लोकायुक्त जैसे गरिमावाले पद की जवाबदारी संभालने वाले जस्टिस रिपुसूदन दयाल ने जो मकान खरीदा है उसके मालिकाना हक के दस्तावेजों में से लीज डीड शब्द हटा दिया गया था.प्रीमियम की जगह कॉस्ट(कीमत)शब्द लिख दिया गया था.ये दस्तावेज स्वयं लोकायुक्त महोदय के दफ्तर में तैयार कराए गए थे.मप्र हाऊसिंग बोर्ड के अधिकारियों पर दबाव डालकर इन दस्तावेजों को पास भी करा लिया गया.

अब जब इस मामले की शिकायत की गई है तो शिकायत करने वाले नागरिकों को झूठा ठहराने की साजिश की जा रही है. खुद न्यायाधीश रहे दयाल कह रहे हैं कि इस हेराफेरी से जनता के धन का अपवंचन नहीं हुआ है इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है. उनके खिलाफ जो अन्य मामले उजागर हुए हैं उन्हें भी वे अपने खिलाफ साजिश बताने में जुटे हैं.स्थानीय अदालत ने जब उनके खिलाफ की गई शिकायत पर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए तो महोदय ने उसी अदालत को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से फटकार लगवाने की कोशिश की.अब सवाल ये है कि क्या भारत का संविधान किसी बड़े आसन पर बैठे व्यक्ति को कानून के मार्ग में बाधा खड़ी करने की इजाजत देता है.

श्री दयाल के खिलाफ जो गड़बड़ियां सामने आईं हैं उनकी सुनवाई हुए बगैर घोटाला उजागर करने वाले नागरिकों के खिलाफ जो कानूनी षड़यंत्र रचे जा रहे हैं वे खुद बोल रहे हैं कि मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है. शिकायत को न तो लोकायुक्त पुलिस ने सुना ,न ही अभी किसी छोटी या बड़ी अदालत ने.तमाम किस्म के पेंच फंसाकर लोकायुक्त महोदय इसी कोशिश में जुटे हैं कि किसी भी तरह मामले की सुनवाई न हो पाए.इस प्रकरण को इतना लंबा खींच दिया जाए ताकि उनका शेष बचा कार्यकाल पूरा हो जाए.

जिस जमीन पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भारतीय जनशक्ति पार्टी का झंडा गाड़ दिया है उसे हड़पने की साजिश रचकर क्या लोकायुक्त महोदय ने जनता के खजाने के खिलाफ षड़यंत्र नहीं किया है इस बात पर अदालत में विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए.उन्होंने लीज डीड के जो दस्तावेज पंजीकृत कराए हैं उन्हें हेराफेरी माना जाए या नहीं इस पर अदालत में सुनवाई क्यों नहीं होनी चाहिए.लोकायुक्त महोदय के खिलाफ और भी जो मामले उजागर हुए हैं उन्हें कसौटी पर कसे बगैर उन्हें कैसे बरी किया जा सकता है.इसके बावजूद पद का दुरुपयोग करते हुए जो बातें लोकायुक्त संगठन की ओर से प्रचारित की जा रहीं हैं वे चौंकाने वाली हैं. बड़ी बड़ी अदालतों के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायत मिलने पर उन्हें बर्खास्त तक कर दिया जाता है पर उन मामलों की चर्चा नहीं होती.इसके विपरीत जिस तरह भोपाल के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश माननीय डी.के.सिंह के फैसले की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की गई और उनके खिलाफ हाईकोर्ट की कार्रवाई की झूठी खबर छपवाई गई उससे तो दयाल की उतावली ही उजागर हुई है.मामला यह भी दिखा रहा है कि श्री दयाल का न्यायपालिका पर जरा भी भरोसा नहीं है.वे उसे सिर्फ अपनी पैर की जूती बनाकर रखना चाहते हैं.

फिलहाल जो बातें सामने आईं हैं उनके मुताबिक मध्यप्रदेश में लोकायुक्त जैसे जिम्मेदार पद की चमक धुंधली हो चली है.इस पर आसीन सेवानिवृत्त न्यायाधीश रिपुसूदन दयाल के कई कदमों से कानून को कुचलने की आहट आ रही है. वे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं लेकिन इसके बावजूद वे गली के गुंडे की भांति बर्ताव कर रहे हैं.क्योंकि उनके भ्रष्टाचारों की पोल कथित तौर पर खुल गई है. सच के इस अनछुए पहलू से पर्दा उठाने का काम पत्रकार आलोक सिंघई और एड्व्होकेट नरेन्द्र भावसार ने किया है. जब उन्होंने 28 मई को श्री दयाल के मकान खरीदी में घोटाले की कहानी उजागर की तो श्री दयाल भड़क उठे.उन्होंने अपने ही अधीन काम करने वाले विशेष पुलिस स्थापना संगठन की मदद से आनन फानन में सभी पक्षों को अपने दफ्तर बुला भेजा.मकानों का आबंटन करने वाली संस्था मप्र गृह निर्माण मंडल के अफसरों की मुर्गा परेड कराने के बाद उन्होंने अपनी कहानी को बल देने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए और फिर खुद को क्लीनचिट दिलवा ली.इसके लिए उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट से वकीलों का जत्था बुलवाया और सारे मामले की कानूनी आधार पर रिपोर्ट तैयार करवाई जिसमें खुद को बेगुनाह बता दिया गया.

जब शिकायत कर्ताओं ने जब यह मामला राजधानी की एक अदालत में प्रस्तुत किया तो विद्वान जज धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने अपने सामने पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर भादवि की धारा 156(3) में दयाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए.इस पर लोकायुक्त दफ्तर के सामने स्थित कोहेफिजा पुलिस थाने ने मात्र पांच दिनों के भीतर मामले की जांच भी कर ली और अपनी रिपोर्ट में श्री दयाल को क्लीनचिट भी दे दी.जबकि अदालत ने सिर्फ परिवाद को देखकर रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए थे.इस रिपोर्ट को आधार बनाकर श्री दयाल ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों पर ही झूठी शिकायत करने का मुकदमा चला दिया.इसके बाद उन्होंने शहर के एक टीवी चैनल पर दिए इंटरव्यू में खुद के मामले में न्यायाधीश बनकर शिकायत करने वाले जागरूक नागरिकों के खिलाफ विष उगला.जबकि इसके अगले ही दिन 26 जून को दयाल कीयाचिका पर ही अदालत में विचार किया जाना था.उन्होंने कहा कि शिकायत करने वालों को एक दो साल की जेल की सजा सुनाई जाए इससे कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसी शिकायत करने की जुर्रत नहीं करेगा. सार्वजनिक बयानबाजी से उन्होंने शुरु से न्याय का गला घोंटने की कोशिशें की हैं.इस प्रकरण में जब नोटिस जारी हो गए तो दयाल ने हाईकोर्ट में जज की ही शिकायत कर दी कि उन्होंने उनके खिलाफ नोटिस ही क्यों जारी किया.

भोपाल की अदालत में जब श्री दयाल की शिकायत पर सुनवाई होनी तय हो गई थी तो भी श्री दयाल ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनंग कुमार पटनायक के सामने खुद के खिलाफ साजिश किए जाने का आवेदन दे दिया.उन्होंने अपने पत्र में कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है इसलिए मामले की फाईल हाईकोर्ट बुला ली जाए.

पत्र में अपने तर्क देते हुए कथित तौर पर श्री दयाल ने कहा है कि कुछ लोग उन्हें फंसाना चाहते हैं.क्योंकि उन्होंने प्रदेश के कुछ खास लोगों के खिलाफ जांचें शुरु की हैं.श्री दयाल प्रदेश के बड़े पद पर बैठे हैं और सरकार उनके निर्देश पर ही काम करती है.यदि वे बेगुनाह थे तो किसी निष्पक्ष एजेंसी से उन्होंने सारे तथ्यों कीजांच क्यों नहीं कराई.भोपाल के जज के खिलाफ कार्रवाई करवाने में क्यों जुट गए.सरकार पर आरोप लगाकर आखिर वे क्या साबित करना चाहते हैं.वे इस तरह बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि पूरे प्रदेश के लोग और सरकार उनकी दुश्मन है.भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की जवाबदारी केवल उन्होंने ही नहीं संभाली है.क्या उन्हें विशेष पद पर बैठने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का एकाधिकार दिया जा सकता है.आम जनता के पास भी वे सभी संवैधानिक अधिकार हैं जिनके आधार पर वह समाज के खिलाफ साजिश रचने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकती है.

कृपाओं के सहारे नौकरियों की ऊंचाईयों पर पहुंचे श्री दयाल जब शेर की खाल ओढ़े नीले रंग में रंगे सियार नजर आ रहे हैं तभी वे न्याय पालिका को गुमराह करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं.लोगों ने उनके खिलाफ पेश किए गए सबूत देखे हैं और उनकी हकीकत को भी जान लिया है.ऐसे में वे इस्तीफा देकर अपनी इज्जत बचाने के बजाए दूसरों को फंसाने की आक्रामक रणनीति पर काम कर रहे हैं.अब वे अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए न्यायपालिका को भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं.वे ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि भारत का संविधान किसी भी मदांध व्यक्ति को अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने की इजाजत नहीं देता.सत्ता के खेल में शामिल होने वाले किसी न्यायाधीश को भी ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह किसी बेगुनाह को फांसी पर लटका दे.यही भारतीय संविधान की व्यापकता है.यही लोकतंत्र की ताकत है और इसे हर कीमत पर बरकरार रखा जाना चाहिए.(पीआईसी)

(लेखक नितिन वर्मा न्यायशील व्यवस्था के लिए समर्पित , शब्दसागर समाचार पत्र के संपादक हैं.)

उपायुक्त ऋषभ जैन की रूह सुनाती है दयाल की दरिंदगी की दास्तान

भोपाल. वाणिज्यिक कर उपायुक्त ऋषभ जैन की लोकायुक्त पुलिस हिरासत में हुई मौत को यदि सरकार ने गंभीरता से लिया होता और संगठन की कार्यप्रणाली को ठीक नजरिए से समझा होता तो आज प्रदेश के एक संवैधानिक पद की गरिमा खंड खंड न हो गई होती.अब जबकि लोकायुक्त के पद पर आसीन जस्टिस रिपुसूदन दयाल के काले कारनामे उजागर हो चुके हैं तब सरकार पद की प्रतिष्ठा बचाने के नाम पर उन्हें कुर्सी बख्शीश में दे रही है.वास्तव में जब ऋषभ जैन की मौत के बाद श्री दयाल ने सार्वजनिक बयान दिया था कि उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की है तभी इस कांड की असलियत की जांच गंभीरता से कराई जानी चाहिए थी. इसके बाद लोकायुक्त संगठन ने दोषियों को बचाने और गवाहों को तोड़ने की जो साजिशें रचीं तब भी सरकार अपना हस्तक्षेप कर सकती थी.इसके बाद जब स्व.ऋषभ जैन की पत्नी को नौकरी देने का विरोध करने की बात सामने आई तब भी दयाल की भावनात्मक कुंठा को पढ़ा जाना चाहिए था.स्व.जैन की रूह आज भी न्याय की बाट जोह रही है.अब जबकि अपने खिलाफ की गई तथ्यपूर्ण शिकायत को वे झूठी करार देने के लिए न्यायपालिका की कुलियों का सहारा ले रहे हैं तब हिरासत में मौत के इस प्रकरण पर नए सिरे से गौर करने की जरूरत आ पड़ी है.

वाणिज्यिक कर उपायुक्त स्व.ऋषभ जैन को लोकायुक्त पुलिस ने 14.7.2004 को कथित तौर पर दो हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था.कर सलाहकार व्ही के छाजेड़ ने कथित तौर पर लोकायुक्त पुलिस को ये शिकायत की थी.इसके बाद श्री दयाल के सबसे विश्वसनीय डीएसपी मोहकम सिंह नैन के नेतृत्व में गई टीम ने उनके घर पर भी छापा मारा और लॉकर की चाभियां मांगते समय उनकी पत्नी श्रीमती इंदु जैन को धमकाया कि सारी संपत्तियों का खुलासा करो नहीं तो तुम यहां मरोगी और जैन वहां मरेगा.रात करीब पौने तीन बजे जब उनके छोटे भाई श्री इंद्रजीत जैन तीन अन्य लोगों के साथ श्री जैन से मिलने लोकायुक्त दफ्तर गए थे तो स्व.जैन ने उन्हें बताया कि उन्हें श्री नैन और उनके सिपाहियों ने बहुत मारा गया है मुझे यहां से निकालो क्योंकि ये लोग मुझे और प्रताड़ित कर सकते हैं मैं मर भी सकता हूं.इस बीच लोकायुक्त के कर्मचारी वहां आ गए और उन्होंने मिलने वालों को धक्के मारकर निकाल दिया.अगले दिन 15.7.2004 को जब विक्रय कर विभाग के निरीक्षक श्री पाशा चाय आदि लेकर श्री जैन के पास पहुंचे तो वहां कोई नजर नहीं आया.जब वे अंदर घुसे तो पाया कि श्री जैन का शरीर बाथरूम में पड़ा था. श्री पाशा ने कर्मचारियों से आटो बुलवाकर श्री जैन को हमीदिया अस्पताल पहुंचाया जहां लोकायुक्त के कर्मचारी लाश को छोड़कर भाग खड़े हुए.

15.7.2004 को सुबह 9 बजे की प्री एमएलसी रिपोर्ट के मुताबिक श्री जैन की की पल्स गायब थी और सांसें बंद हो चुकी थीं.जिसका मतलब साफ था कि वे मर चुके हैं.लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों ने उन्हें कृत्रिम सांस देना जारी रखा.क्योंकि इसके निर्देश उन्हें दिए गए थे.जब मृतक के भाई डॉ.डी.के.जैन ने अपने भाई के सीने,सिर और गर्दन की चोटों की ओर डॉक्टरों का ध्यान आकर्षित कराया तो उनसे कहा गया कि मेडीकोलीगल विशेषज्ञों को बुलाया गया है.दोपहर 1.30 बजे उन्हें मृत घोषित किया गया.पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्री आर.के.जैन के शरीर पर चोटें थीं,सिर के तालू और पसलियों में फ्रेक्चर और गले पर निशान थे.ये चोटें मृत्यु से करीब 12 घंटे पहले आना बताया गया.जाहिर है कि श्री जैन ने लोकायुक्त की हिरासत में ही दम तोड़ दिया था.

डीएसपी नैन ने मानवाधिकार आयोग के सामने दिए अपने बयानों में कहा कि आर.के.जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7,13(1)बी,13(2)के तहत गिरफ्तार किया गया था जो कि गैर जमानती अपराध है इसलिए उन्हें हिरासत में रखा गया था.जबकि पूर्व जस्टिस जी.पी.सिंह ने 23.5.94 को दिए निर्देश में कहा था कि सरकारी अफसर को गिरफ्तार नहीं किया जाए क्योंकि उसके भागने की संभावना नहीं होती है.मानवाधिकार आयोग ने मृतक के परिजनों को दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता आरोपियों से दिलाने के निर्देश दिए थे जिसका पालन आज तक नहीं किया गया है.

इस घटना के बाद वाणिज्यिक कर विभाग ने लोकायुक्त पुलिस की अवैध उगाही का खुलासा किया था कि किस तरह कर नाकों से हर महीने रिश्वत वसूली जाती है.ट्रेप के प्रकरणों में किस तरह जबरिया रिश्वत थमाकर अधिकारियों कर्मचारियों को पकड़ा जाता है.यह सब जानते हुए भी प्रदेश सरकार ने लोकायुक्त संगठन की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं.यहां कई अधिकारी लंबे समय से अपने पद पर जमे हैं.उनके पास अकूत दौलत बढ़ गई है,फिर भी लोकायुक्त संगठन को अब तक जांच के दायरे में नहीं लिया गया है.अब जबकि लोकायुक्त स्वयं आरोपों के घेरे में आ गए हैं तो भी उन पर मुकदमा न बनाना संगठन की असलियत ही बताता है.

स्वत्वाधिकारी ,मुद्रक,प्रकाशक आलोक सिंघई ने सम्यक प्रिंटर्स से छापा और अलकनंदा काम्पलेक्स एमपी नगर भोपाल से प्रकाशित किया.
संपादकआलोकसिंघई.
विशेषांक संपादक-नितिन वर्मा
फो.2600418,मोबा.-9425376322
विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल.इ-मेल
Jasoos1967@yahoo.com